स्वायत्तशासी आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र, देहरादून
उत्तराखण्ड शासन

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 मैनुअल संख्या–1

प्रस्तावनाः

उत्तराखण्ड राज्य अपनी भौगोलिक एवं पारस्थितिकीय संरचना के कारण प्राकृतिक एवं मानवीय परिवर्तनों के प्रति अति संवेदनशील है। इस तथ्य को दृष्टि मे रखते हुए उत्तराखण्ड राज्य के गठन के साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा आपदा प्रबन्धन मंत्रालय की स्थापना की गयी। यह मंत्रालय आपदाओं के प्रभावों को न्यूनतम करने के लिए प्रदेश सरकार की कटिबद्धता को प्रदर्शित करता है। आपदा प्रबन्धन को व्यवहारिक बनाने के लिए आपदा प्रबन्धन तंत्र इस प्रकार विकसित किया गया कि आपदा प्रबन्धन में राज्य एवं जनपद स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों के अतिरिक्त स्वयं सेवी संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों, जनप्रतिनिधियों एवं जनसामान्य की स्पष्ट भागीदारी निश्चित हो सकी है। राज्य स्तर पर उत्तराखण्ड में आयुक्त आपदा प्रबन्धन एवं जिला स्तर पर जिलाधिकारी की जिला आपदा प्रबन्धक के रूप में नियुक्ति तथा जिला आपदा निधि की स्थापना से प्रदेष में आपदा प्रबन्धन तंत्र कारगर एवं व्यवहारिक सिद्ध हुआ है। आपदा प्रबन्धन मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्तशासी आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र की स्थापना की गयी है। जो थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा।

उत्तराखण्ड राज्य के गठन के साथ ही प्रदेष सरकार द्वारा आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केन्द्र की स्थापना सचिवालय परिसर, देहरादून में **27 अक्टूबर, 2001** को प्रषासन अकादमी, नैनीताल के प्रषासन नियंत्रण में की गयी केन्द्र द्वारा दिनांक **16 दिसम्बर, 2001** से देहरादून में विधिवत् कार्य करना प्रारम्भ किया गया। केन्द्र द्वारा किये जा रहे विभिन्न कार्यो के सुचारू क्रियान्यवयन को ध्यान में रखते हुए आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केन्द्र को आपदा प्रबंधन विभाग के अन्तर्गत स्वायत्तषासी संस्था के रूप में स्थापित किया गया तथा सोसाईटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अन्तर्गत उक्त को दिनांक **4 जून, 2004** पंजीकृत करवाने की कार्यवाही सुनिष्चित कर ली गयी।

1– संगठन की विशिष्ठयां, कृत्य एवं कर्तव्यः

केन्द्र के षासी निकाय, जो मार्ग दर्षक/नीति निर्धारण समिति है, के अधीन अधीशासी मण्डल रखा गया है। केन्द्र की सरंचना तीन षाखाओं पर आधारित है जो कि अधिषासी निदेषक के नियंत्रण में कार्य करती है–

प्रथम इकाईः वन एवं पर्यावरण, भूगर्भ, सिविल अभियांत्रिकी, अन्वेषण और परियोजना गठन, सूचना संकलन, विष्लेषण एवं उपयोगी इनडैक्स तैयार करना।

दूसरी इकाईः आपदा घटित होने पर अन्तर विभागीय समन्यवय सुनिष्चित करने, राहत प्रबन्धन सुनिष्चित करने एवं नैत्यक कार्य सम्पादन के लिये कार्य करती है।

तीसरी इकाईः विभिन्न आपदाओं के लिए जनसाधारण को प्रषिक्षित करने, स्थानीय स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए जन सहयोग इकाई तैयार करने के लिए कार्य करती है।

शासनादेश संख्या 16/आपदा प्रबंधन/2001 दिनांक 06 नवम्बर, 2001 के अनुसार वर्तमान में केन्द्र में 01 अधिषासी निदेषक, 01 वरिष्ठ कार्यकारी (भूकम्प अभियांत्रिकी), 03 कनिष्ट कार्यकारी {खोज एवं बचाव(प्रचालन), भू–विज्ञान एवं मानचित्रीकरण}, 02 प्रबन्धक (तकनीकी एवं प्रशासन) 02 डेटा एन्ट्री आपरेटर, 03 तकनीकी सहायक कार्य कर रहे है।

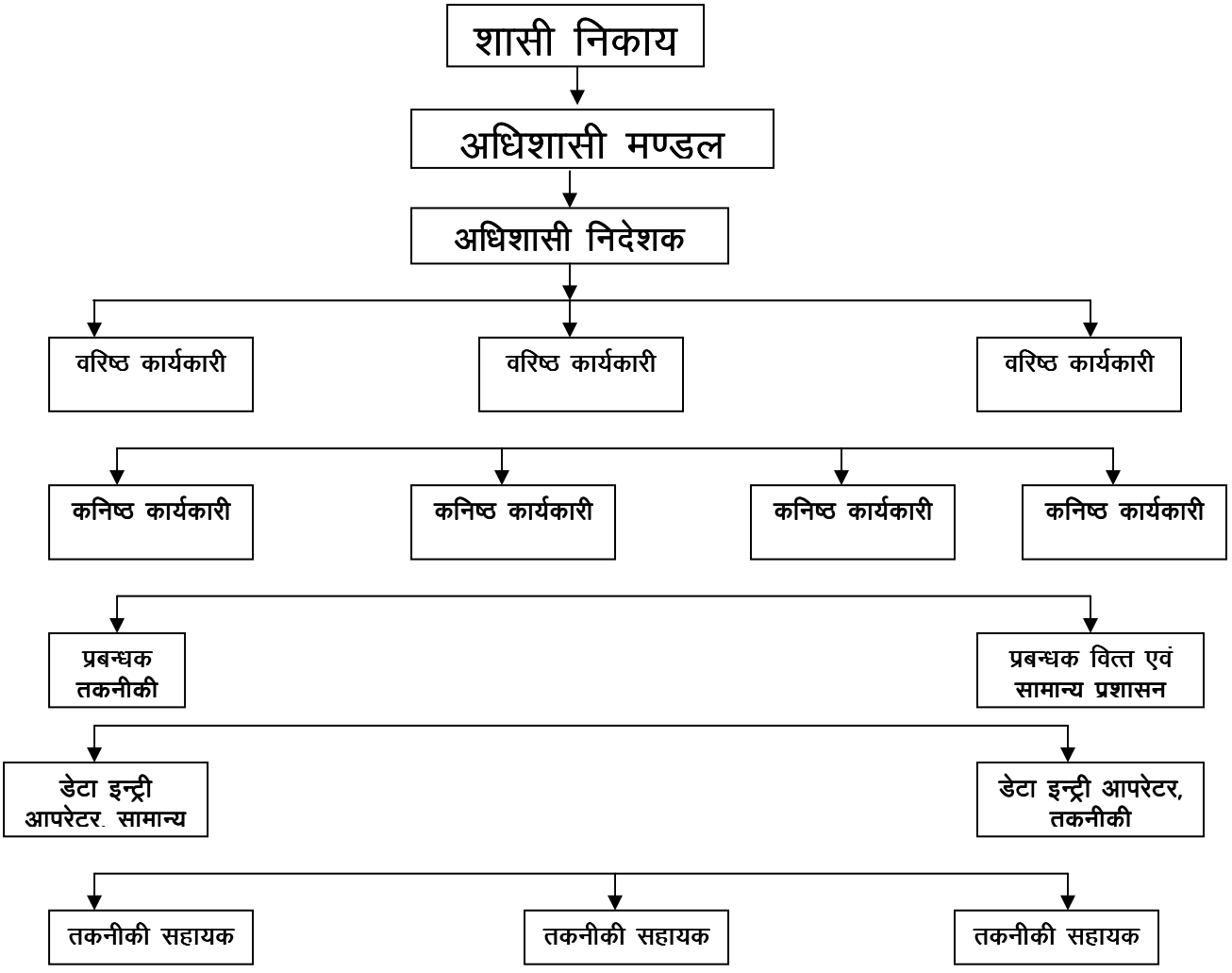

आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र को आपदा प्रबन्धन विभाग के अन्तर्गत स्वायत्तषासी संस्था के रूप में स्थापित करने हेतु माननीय मंत्री परिषद का अनुमोदन दिनांक 12 मई, 2003 को प्राप्त किया तथा सोसाईटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अन्तर्गत उक्त को दिनांक 04 जून, 2004 पंजीकृत करवाने की कार्यवाही सुनिष्चित कर ली गई। जिसकी शासी निकाय के सदस्यों की एवं अधिशासी मण्डल की सूची निम्नवत् हैः–

शासी निकाय के सदस्यों की सूचीः

क्र.स.	नाम	पद नाम
1.	मा. मंत्री, आपदा प्रबन्धन।	**अध्यक्ष**
2.	मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।	**उपाध्यक्ष**
3.	प्रमुख सचिव, सचिव, आपदा प्रबन्धन, उत्तराखण्ड शासन।	**सदस्य**
4.	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।	**सदस्य**
5.	प्रमुख सचिव/सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, उत्तराखण्ड शासन।	**सदस्य**
6.	प्रमुख सचिव/सचिव, स्वास्थ्य, उत्तराखण्ड शासन।	**सदस्य**
7.	प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।	**सदस्य**
8.	प्रमुख सचिव/सचिव, सिंचाई एवं ऊर्जा, उत्तराखण्ड शासन।	**सदस्य**
9.	प्रमुख सचिव/सचिव, वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।	**सदस्य**
10.	प्रमुख सचिव/सचिव, शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन।	**सदस्य**
11.	निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल।	**सदस्य**
12.	अधिशासी निदेशक, आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र।	**सदस्य**
13.	शासी निकाय द्वारा नामित तीन सदस्य जो राष्ट्र/राज्य स्तरीय संस्थानों में आपदा प्रबन्धन के क्षेत्र में कार्य कर रहें हों।	
14.	सेना, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, सीमा सड़क संगठन, एस.एस.बी. के शासी निकाय द्वारा नामित एक–एक सदस्य।	
15.	आयुक्त, आपदा प्रबन्धन, उत्तराखण्ड शासन।	**सचिव**

अधिशासी मण्डल के सदस्यों की सूचीः

1.	प्रमुख सचिव/सचिव, आपदा प्रबन्धन, उत्तराखण्ड शासन	**अध्यक्ष**
2.	निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल	**सदस्य**
3.	अधिशासी निदेशक, आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र	**सदस्य**
4.	प्रबन्धक, वित्त, आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र	**सदस्य**

आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र के कृत्यः

1. उत्तराखण्ड के समस्त 13 जनपदों के लिए आंकड़ों का संग्रहरण, विश्लेषण एवं मानचित्रीकरण, संवेदनशील क्षेत्रों का चिन्हीकरण, सम्भावित आपदा से प्रभावित होने वाली तत्वों को सूचीबद्ध कर लागत कर लागत–हानि विश्लेषण एवं आपदा सूचना तंत्र का प्रत्येक स्तर पर विकास।
2. आपदा तैयारी एवं न्यूनीकरण की योजनाओं को प्रभावशाली बनाने का प्रयास, नीति निर्माताओं, योजना प्रबन्धकों जनपदीय कार्यालयों, गैर सरकारी संस्थाओं और जनसमुदाय को आपदा के बारे में जागरूक एवं संवदेनशील बनाने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन, जनपद एवं क्षेत्र पंचायत/ग्राम पंचायत स्तरीय आपदा प्रबन्धन समितियों का गठन।
3. जनपद, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम स्तरीय आपदा प्रबन्धन कार्ययोजनाओं का निर्माण।
4. उत्तराखण्ड राज्य में आपदा प्रबन्धन की दिशा में कार्यरत विभिन्न संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों के मध्य समन्वय एवं सामन्जस्य स्थापित करना।
5. आपदा प्रबन्धन की विधा का जागरूकता अभियान, प्रचार–प्रसार सामग्री एवं साहित्य के माध्यम से प्रचार, क्षमता विकास एवं प्रशिक्षण।

आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र के कर्तव्यः

1. आंकड़ो का संग्रहण, विश्लेषण एवं क्रियान्वयन।
2. पूर्व तैयारी एवं आपदा न्यूनीकरण योजनाओं का निर्माण।
3. आपदा प्रबन्धन सम्बन्धी शोघ एवं अनुसंधान।
4. आपदा प्रबन्धन समितियों का जनपद/क्षेत्र पंचायत/ग्राम पंचायत स्तर पर निर्माण।
5. उत्तराखण्ड राज्य में आपदा प्रबन्धन विभाग के अन्तर्गत एक राज्य स्तरीय आपातकालीन परिचालन केन्द्र **(SEOC)** की स्थापना सचिवालय परिसर, देहरादून में गयी है। जिसका संचालन आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र द्वारा किया जा रहा हैं।

जिससे राज्य में आपदा प्रबन्धन को सुव्यवस्थित रूप प्रदान किया जा सके। राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र का ढॉचा निम्नवत् है:

1. मुख्य सचिव – अध्यक्ष
2. प्रमुख सचिव, आपदा प्रबन्धन – सदस्य
3. सचिव/आयुक्त, आपदा प्रबन्धन – सदस्य सचिव

आपातकाल में राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र का पूर्ण नियंत्रण मुख्य सचिव के अधीन होगा, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में प्रमुख सचिव/सचिव, आपदा प्रबन्धन राज्य आपाताकालीन परिचालन केन्द्र के मुख्य नियंत्रक होगें। आपातकालीन परिचालन केन्द्र आयुक्त, आपदा प्रबन्धन के अधीन कार्य करेगा और राज्य स्तरीय आपदा प्रबनधन तंत्र के लिए एक केन्द्रीकृत संस्थान के रूप में आपदा प्रबन्ध की विभिन्न क्रियाओं के लिए समन्वयक एवं परिवेक्षक का कार्य करेगा। आपातकालीन परिचालन केन्द्र को समय–समय पर तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द **(DMMC)** होगा।

आपातकालीन परिचालन केन्द्र के कृत्य और कर्तव्यः

1. समन्वयन एवं दिशा निर्देशों का क्रियान्वयन।
2. नीति क्रियान्वयन एवं परिचालन प्रबन्धन।
3. सूचना का सही, शीघ्र एवं उपयोगी आदान–प्रदान।
4. जनसूचना का प्रसारण।
5. संसाधन प्रबन्धन।

राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र

;जंजम म्उमतहमदबल व्वमतंजपवद ब्मदजमतद्ध

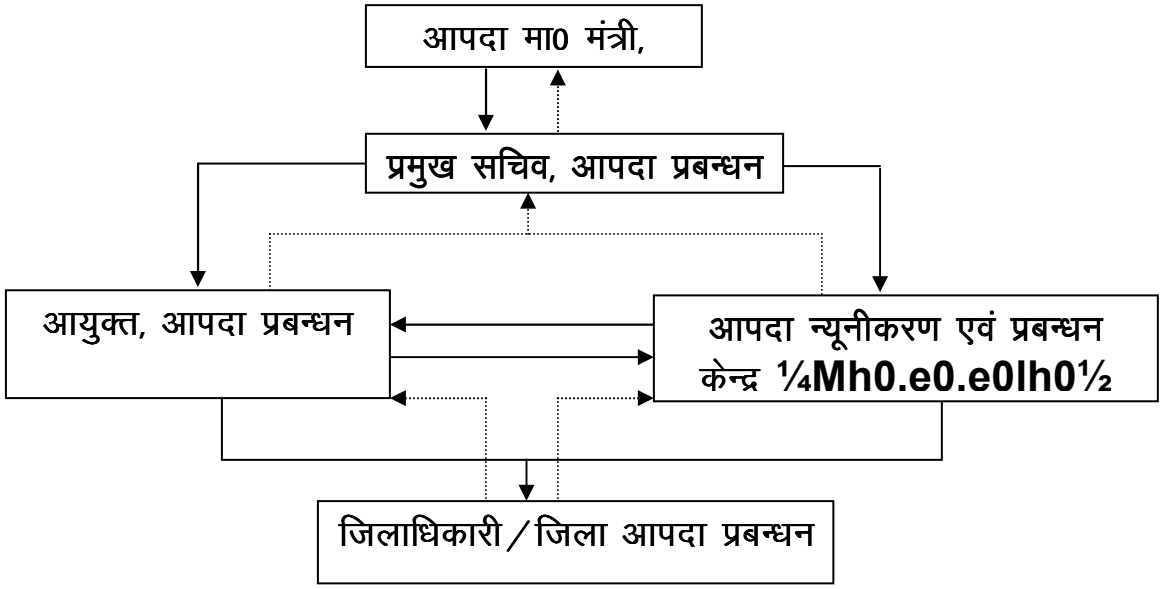

आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र, देहरादून में सुव्यवस्थित संचालन हेतु पदों का सृजन शासनादेष संख्या 16/ आपदा प्रबन्धन/2001 के माननीय राज्यपाल द्वारा स्वीकृत किया गया।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 मैनुअल संख्या–2

अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य

केन्द्र के षासी निकाय, जो मार्ग दर्षक/नीति निर्धारण समिति है, के अधीन प्रषासकीय मण्डल रखा गया है। केन्द्र की सरंचना तीन षाखाओं पर आधारित है जो कि अधिषासी निदेषक के नियंत्रण में कार्य करती है। प्रथम इकाई वन एवं पर्यावरण, भूगर्भ, सिविल अभियांत्रिकी, अन्वेषण और परियोजना गठन, सूचना संकलन, विष्लेषण एवं उपयोगी इनडैक्स तैयार करने की इकाई के रूप में, दूसरी इकाई आपदा घटित होने पर अन्तर विभागीय समन्यवय सुनिष्चित करने, राहत प्रबन्धन सुनिष्चित करने एवं नैत्यक कार्य सम्पादन के लिये कार्य करती हैं तथा तीसरी षाखा विभिन्न आपदाओं के लिए जनसाधारण को प्रषिक्षित करने, स्थानीय स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए जन सहयोग इकाई तैयार करने के लिए कार्य करती है। शासनादेश संख्या 16/आपदा प्रबंधन/2001 दिनांक 06 नवम्बर, 2001 के अनुसार वर्तमान में केन्द्र में 01 अधिषासी निदेषक, 01 वरिष्ठ कार्यकारी (भूकम्प अभियांत्रिकी), 02 कनिष्ट कार्यकारी {खोज एवं बचाव (प्रचालन), मानचित्रीकरण}, 02 प्रबन्धक (तकनीकी एवं प्रशासन) 02 डेटा एन्ट्री आपरेटर, 03 तकनीकी सहायक कार्य कर रहे है। जिनका विवरण निम्नवत् हैः–

अधिशासी मण्डल के अधिकारः

आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र में अधिशासी मण्डल के निम्नलिखित अधिकार है–

1. केन्द्र को सुचारू संचालन हेतु समस्त प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकारी।
2. केन्द्र के Article of Association के नियमों को परिवर्तित/ संशोधित किये जाने हेतु शासी निकाय को प्रस्ताव संस्तुत करने का अधिकारी।
3. केन्द्र के सुचारू संचालन हेतु विभिन्न उपनियम, राज्य सरकार से अनुमोदन के प्रतिबंधनाधीन बनाये जाने का अधिकारी।
4. राज्य सरकार की सहमति से केन्द्र में नये पदों का अधिकार।
5. केन्द्र के वार्षिक बजट का अधिकार।
6. केन्द्र के उद्वेश्यों की पूर्ति के लिए योजनायें एवं कार्यक्रम बनाकर उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करवाने का अधिकार।
7. केन्द्र के लेखा व आडिट कार्य हेतु सक्षम संस्था का चयन व कार्य को सम्पादित करने का अधिकारी।

8. शासन के अनुमति से केन्द्र में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा नियमावली बनवाने एवं यथा आवश्यकता संशोधित किये जाने का अधिकार।
9. आपदा प्रबन्धन के क्षेत्र में कार्य कर रही विभिन्न देशी व विदेशी संस्थाओं से सम्पर्क स्थापित कर परस्पर सामन्जस्य स्थापित करवाना।
10. आपदा प्रबन्धन के क्षेत्र में कार्यरत संस्थानों के साथ आपसी सहमति से कार्य करने का अधिकार।

अध्यक्ष अधिशासी मण्डल के अधिकारः

1. केन्द्र में सृजित विभिन्न पदों पर नियुक्तियों का अधिकार।
2. केन्द्र के कार्यो के सुचारू संचालन हेतु किसी बाहरी संस्था/ अन्य माध्यम से कार्य सम्पादित करवाने पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार।
3. रु. 2.00 लाख से अधिक के कार्यो/व्यय पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।
4. केन्द्र के क्रियाकलापों से सम्बन्धित नीतिगत निर्णयों का शासी निकाय की स्वीकृति के प्रत्यासा में स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार।
5. विभिन्न परियोजनाओं पर कार्य करने हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का अधिकार।
6. तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी से उच्च श्रेणी के कार्मिकों के सेवा प्रकरण तथा वार्षिक गोपनीय प्रविष्ठ हेतु स्वीकृता अधिकारी।
7. तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी से के कर्मचारियों से सम्बन्धित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु अपीलीय प्राधिकारी तथा वार्षिक गोपनीय प्रविष्ठ हेतु अपीलीय अधिकारी।
8. केन्द्र के कार्य सम्पादन/ कार्य संचालन हेतु कार्मिक संविदा पर रखने/कार्य संविदा पर करवाने आदि व्यवस्था की स्वीकृति।
9. केन्द्र का राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्टीय गोष्ठियों में प्रतिनिधित्व करने हेतु प्रतिभागियों का नामांकन करने का अधिकार।
10. अधिशासी मण्डल से अनुमोदन की प्रत्याक्षा में केन्द्र के उद्वेश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न वित्तीय संस्थानों से सहायता लिये जाने पर स्वीकृति का अधिकार।

अधिशासी निदेशक के कृत्य एवं अधिकारः

आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र में अधिशासी निदेशक के निम्नलिखित अधिकार है–

1. केन्द्र में कार्यरत अधिकरी/ कर्मचारियों को उनके कार्य सम्बन्धी निर्देश, उत्तरदायित्वों का निर्धारण एवं किये गये कार्यो का मूल्यांकन।

2. तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की वार्षिक प्रविष्टि एवं लघु दण्डाधिकारी तथा उनकी वार्षिक गोपनीय प्रविष्ट हेतु स्वीकृता अधिकारी।
3. केन्द्र द्वारा संचालित विभिन्न परियोजनाओं के मध्य सामन्जस्य स्थापित करवाना एवं कार्यो का क्रियान्वन।
4. आपदा प्रबन्धन के क्षेत्र में कार्य कर रही विभिन्न देशी एवं विदेशी संस्थाओं से सम्पर्क एवं सामन्जस्य स्थापित करने हेतु अधिशासी निदेशक द्वारा यथा आवश्यकता अध्यक्ष, अधिशासी मण्डल तथा शासन को सूचना दी जायेगी एवं पूर्व निर्देश प्राप्त किये जायेंगे।
5. अधिशासी निदेशक को रु0 2.00 लाख या उससे कम व्यय/ कार्यो पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का अधिकारी।
6. केन्द्र के लेखा व आडिट कार्य हेतु सक्षम संस्था का चयन व कार्य को सम्पादित कराने का अधिकार।
7. केन्द्र के हितों/ रक्षा हेतु अध्यक्ष अधिशासी मण्डल की पूर्व अनुमति से कानूनी कार्यवाही आरम्भ किये जाने का अधिकार।
8. केन्द्र के लिये/ केन्द्र की ओर से अध्यक्ष से पूर्व अनुमति के प्रतिबन्धनाधीन अनुबन्धों को करने का अधिकार।

जिला स्तर पर आपदा प्रबन्धनः

जिलाधिकारी के कार्य एवं दायित्वः

1. जिलाधिकारी के अन्तर्गत आपदाओं की सूचना, पर्यवेक्षण, मूल्यांकन, क्रियान्वयन नियंत्रण एवं समन्वयन कार्यो को सुगमता से सम्पन्न करने हेतु एक जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गयी है।
2. जिला आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना को जिला आपदा प्रबन्धन समिति एवं आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र के सहयोग से तैयार करना तथा समय–समय पर इसकी सूचनाओं को अध्ययन करना।
4. परस्पर सहायता एवं सहयोग करने वाली समितियों, क्रियाशील समूहों को गठित करने को प्रोत्साहन देना, सामुदायिक सहभागिता को बढ़ाना।
5. जिला आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना के अन्तर्गत जिला स्तरीय विभाग स्थलीय कार्य हेतु परस्पर समन्वयन एवं आदान–प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। यह क्रम पूर्व तैयारी, न्यूनीकरण चेतावनी, राहत, सामान्य स्थिति एवं पुनर्वास तक जारी रहेगा।
6. आपदा स्थल पर आवश्यकतानुसार कार्य करने होंगे।
7. जिलाधिकारी, जिला नियन्त्रण कक्ष के स्थायी अंग होंगे।

8. आपदा स्थल–स्थान परिचालन (साइट आपरेशन सेंटर) केन्द्र जिलाधिकारी की सहायता करेंगे।

9. जिलाधिकारी से स्थलीय अनुक्रिया केन्द्र समन्वयन करते रहेंगे जैसे ट्रान्जिट कैम्प, राहत कैम्प, भोजन केन्द्र तथा पशुआश्रय स्थल आदि।

10. विभिन्न आपदाओं की स्थिति में आपातकालीन परिचालन समूह (डी0ई0ओ0जी0) गठित होगा जो नोडल अधिकारियों के नेतृत्व में आवश्यक व्यवस्थायें करेंगे।

11. जिला आपातकालिन परिचालन केंद्र में डेस्कों की ब्यवस्था जिला नियन्त्रण कक्ष में स्थापित डेस्क एवं डेस्क अधिध्कारी नियुक्त करने का मुख्य उद्देश्य आपदा प्रबन्ध सम्बन्धी समस्त कार्यों को सुचारू रूप से निस्पादित करना,समस्त सूचना एकत्र करना एवं जिला आपदा प्रबन्धक निर्देशों का अनुपालन करना। इस नियन्त्रण कक्ष में सात डेस्कों की ब्यवस्था की गयी है जिसके अधिकारियों के निम्न कार्य होंगे–

    1. परिचालन डेस्क
    2. सर्विस डेस्क
    3. इनफ्रास्ट्रेक्चर डेस्क
    4. हेल्थ डेस्क
    5. लोजिस्टिक्स / ऐग्रीकल्चर डेस्क
    6. रिसोर्स डेस्क
    7. कम्यूनिकेशन्स एवं इन्फारमेशन डेस्क

विभिन्न डेस्कों के अन्तर्गत विभागों की सूचीः

1. पुलिस 2. चिकित्सालय 3. लोक निर्माण विभाग 4. पावर कारर्पोरेशन
5. आर0टी0ओ0 6. जिलापूर्ति विभाग 7. अन्य

जिलाधिकारी के अन्तर्गत जनपद स्तर पर सात डेस्कों के कार्यः

1. परिचालन डैस्क ;व्चमतंजपवद क्मोद्ध

- राहत एवं वचाव में त्वरित कार्यवाही करना।
- खाद्य सामग्री, दवायें,पानी आदि की आपातकालीन आपूर्ति।
- आपातकालीन यातायात सुविधा बहाल करना।
- जिले में उपलब्ध संसाधनों का क्रय/उपलब्धता सुचारू करना।
- जिला आपदा राहत एवं वचाव कार्यों की सुचारू देखरेख करना।
- नियन्त्रण कक्ष की निगरानी।

- विभिन्न आपदा कार्यदलों के बीच समन्वय स्थापित करना।
- आवश्यकतानुसार दल की नियुक्ति,क्षेत्र आंवटन आदि।
- प्रारम्भिक आंकलन।
- खोज एवं बचाव दल/उपकरणों हेतु आवेदन।
- बाहर से सुरक्षा एवं बचाव दल की प्राप्ति का प्रयास।
- राहत एवं बचाव कार्यदलों का वितरण।
- सेना व अर्ध सैनिक बल,की आवश्यकता का आंकलन।
- कार्यरत दलों हेतु नकदी,भोजन एवं पानी की व्यवस्था करना।

2–सर्विस डेस्क ;मतअपबम क्मोद्ध

- राहत एवं वचाव कार्यों की समीक्षा तथा जरूरतों की पूर्ति करना।
- राहत एवं वचाव शिविरों में जरूरी सामान की आपूर्ति करना।
- कानून ब्यवस्था सुचारू बनाये रखना।
- जिला एवं राज्य की विभिन्न स्वंयसेवी संस्थाओं में समन्वय स्थापित करना।
- विभिन्न स्रोतों से राहत सामग्री एकत्रित करना एवं वितरण करना।

3–इनफ्रास्ट्रेक्चर डेस्क ;प्दतिंजतनबजनतम क्मोद्ध

- क्षतिग्रस्त भवन, इमारतों एवं विभिन्न संरचनाओं को सुचारू
- करना।
- विद्युत, पानी, संचार,सड़कों एवं पुलों की मरम्मत करना।
- जनसुविधाओं को सुचारू करना।
- आश्रय स्थलों का निर्माण एवं शिविरों की स्थापना।

4– हेल्थ डेस्क ;भ्मंसजी क्मोद्ध

- घायलों का उपचार ।
- एम्बूलैंस एवं अस्पतालों की ब्यवस्था।
- महामारी रोकने सम्बन्धी कदम उठाना।
- घायल एंव बीमार ब्यक्तियों सम्बन्धी दस्तावेज रखना।
- पर्याप्त दवाईयां एवं जीवन रक्षक प्रणालियों की आपूर्ति
- संक्रमण रोकथाम अभिकर्मक

- मरीजों अथवा घायलों का पंजीकरण
- प्राथमिक उपचार देना व सकुशल घर पहुॅचाना
- अस्पताल व अस्थायी शरणालयों तक तहुॅचाना
- **मृत प्रणियों को–**

  # कीमती सामानो व दस्तावेजों की सुरक्षा

  # फोटोग्राफ व पहचान चिन्हों को सुरक्षित रखना

  # पंचनामा करना

  # पहचान करवाना

  # सम्बन्धियों को सौपना अथवा

  # मोरचरी या केन्द्रिय स्थलों पर लाना तथा धर्मानुसार निस्तारण करना

- **जीवित पशु–**

  # मालिक को सौपना या सुरक्षित स्थानों पर पहुॅचाना

  # मृत पशुओं का निस्तारण

5– लोजिस्टिक्स ध्ऐग्रीकल्चर डेस्क ;स्वहपेजपबे – ।हतपबनसजनतम क्मोद्ध

- विभिन्न संसाधनों (मानव संसाधन सहित) की आवश्यकता पर कार्यवाही करना।
- दूसरे जिलों से संसाधनों को इकट्ठा करना।
- यातायात ब्यवस्था में समन्वय स्थापित करना।
- सामुदायिक दाह संस्कार के लिये जरूरी ब्यवस्था करना।
- कृषि उत्पादन को पुर्नस्थापित करना।
- कृषकों को बीज,उर्वरक एवं अन्य सामग्री उपलब्ध कराना।
- मार्गो की स्थिति का आंकलन करना।
- आपदा स्थल पर सभी उपलब्ध वाहनों/परिवहन की व्यवस्था करना।
- प्रभावित व्यक्तियों के उपचार,राहत सामग्री हेतु अवागमन सुगम बनाना।

6- कम्यूनिकेशन्स एवं इन्फारमेशन डेस्क (Communication & Information Desk)

- जिला नियन्त्रण कक्ष में सूचना केन्द्र की स्थापना करना।

- मीडिया एवं जनसमुदाय के साथ सूचना का आदान–प्रदान करना।
- मौसम एवं आपदा सम्बन्धी जानकारी एवं विभिन्न स्रोतों से सूचना एकत्र करना।
- जिला अधिकारी के निर्देश पर सूचनाओं का आदान–प्रदान एवं सन्देशों को भेजना।
- मण्डलायुक्त, आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्ध केन्द्र एवं आपातकालीन परिचालन केन्द्र से निरन्तर सम्पर्क बनाये रखना।
- राज्य मुख्यालय को रिर्पोट देना।
- राज्य मुख्यालय के साथ हॉटलाइन द्धारा सम्पर्क बनाये रखना।
- संचार सुविधाओं एवं उनका वितरण।
- मीडिया ब्रीफिंग।
- अतिविशिष्ट एवं विशिष्ट व्यक्तियों की देखभाल।

7– रिसोर्स डेस्क ;त्मेवनतबम क्मोद्ध

- कैश, रसीदें एवं लेखानुदान का रखरखाव करना।
- राहत एवं वचाव कार्यों के भुगतान का हिसाब किताब करना।
- राहत सामग्री के खरीद एवं खर्चों का हिसाब रखना।
- सभी यात्रा भत्ता भुगतान का हिसाव रखना एवं अन्य भुगतान का हिसाव रखना।
- राहत अनुदान एवं विभिन्न स्रोतों से आये अनुदान का लेखा–जोखा रखना।
- आवश्यक केन्द्रो जैसें अस्पताल, मोरचरी, गैस, पैट्रोल पम्प, गोदाम, सस्ते गल्ले की दुकान, खाद्य बाजार, मिटटी तेल की दुकान इत्यादि की पहचान करना।
- राहत में लगें अधिकारियों व राहत सामग्री के सुचारू आवागमन को बनाये रखना।

विभागीय मानक प्रचालन कार्य विधियां (Standard Operating System)

आपदा की स्थिति में प्रतिवादन हेतु प्रमुख विभागों (पुलिस, चिकित्सा, लोक निर्माण विभाग, ऊर्जा, सिंचाई, कृषि, जल संस्थान, परिवहन एवं पशुपालन विभाग) द्वारा कार्यो के प्रभारी सम्पादन के लिए विभिन्न विभागों मानक प्रचालन तैयार की गयी है।

3– विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है।

स्वायत्तशासी आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केन्द्रः

1. आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केन्द्र प्राधिकरण के लिए एक चिन्तन समूह के रूप में कार्य करेगा तथा आपदा के प्रत्येक चरण अर्थात आपदा पूर्व, आपदा के दौरान तथा आपदा पश्चत् चरणों के लिए योजना तैंयार करेगा, जिन्हें अन्ततः प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जायेगा। आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केन्द्र, उत्तराखण्ड में ऐसे स्थान पर अवस्थित होगा जो राज्य सरकार विनिश्चित करे। आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केन्द्र निम्न से मिलकर बनेगा–

2- कार्यपालक निदेशकः

(i) कार्यपालक निदेशक ऐसे संकाय सदस्य, जिसे राज्य सरकार प्राधिकरण से परामर्श के रखने का विनिश्चय करें।

(ii) कार्यपालक निदेशक

(क) आपदा प्रबंधन में वृत्तिक व्यक्ति, जिसे राज्य सरकार प्राधिकरण के परामर्श से रखने का विनिश्चय करेगी;

(ख) कार्यपालक निदेशक आपदा प्रबंधन से सम्बन्धित ऐसे कृत्यों का निष्पादन करेगा जो प्राधिकरण द्वारा उसे सौंपे जायेंगें;

(ग) कार्यपालक निदेशक ऐसे वेतन व भत्तों को प्राप्त करने का हकदार होगा तथा सेवा की ऐसे शर्तो के द्वारा शासित होगा जैसी कि विहित की जायें।

आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केन्द्र के कृत्यः

1. आंकड़ों का संग्रह तथा शोध

(क) आपदा न्यूनीकरण एवं प्रगंधन केन्द्र आपदा तथा प्रबंधन के सभी पहलुओं पर आंकड़ों संग्रह करने या संग्रह करवाने के लिए उचित कार्यवाही करेगा, ऐसे आंकड़ों का विश्लेषण करेगा तथा एसे शोध ओर अध्ययन करेगा व करवायेगा जिनका सम्बन्ध घटनाओं के भावी प्रभाव से हो, जिनके परिणामस्वरूप आपदा हो सकती है तथा यह भी कि इन आपदाओं का किस प्रकार निवारण, प्रबंधन व न्यूनीकरण किया जाय;

(ख) आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केन्द्र किसी व्यक्ति से ऐसे अवधि के भीतर जैसे सूचना में विनिदिष्ट हो लिखित सूचना देकर ऐसी सूचना अपेक्षित करवा सकता

है जो कि उप धारा (1) के प्रयोजन के लिए आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केन्द्र के लिए उपयोगी हो।

2- सूचना का भंडारणः

आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केन्द्र आपदाओं तथा आपदा प्रबंधन से सम्बन्धित सूचनाओं के भंडारक के रूप में कार्य करेगा, तथाः–

(क) राज्य में संचार माध्यमों की स्थापना तथा आपात संचार व पूर्व चेतावनी प्रणाली की स्थान सुनिश्चित करेगा;

(ख) आपदा प्रबंधन परिचालन हेतु अपेक्षित सूचनाओं का सूचना–संग्रह (डाटा बेस) अनुरक्षित करेगा;

(ग) प्राधिकरण की भॉति ही कार्य कर रहे अन्य संस्थानों सहित भारत तथा अन्य देशों के आपदा प्रबंधन अभिकरणों के साथ संचार माध्यम स्थापित करना सुनिश्चित करेगा;

(घ) सूचना आदान–प्रदान तथा आपदा प्रबंधन पर अर्न्तराष्ट्रीय विशेषज्ञों तक पहुॅच सुनिश्चित करेगा।

3- आपदा प्रबंधन योजनायेंः

(अ) आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केन्द्र आपदा महायोजनाओं तथा युक्तियों की तैंयारी के लिए मार्गदर्शक सिद्वान्त विकसित करेगा या करवायेगा तथा उन्हें अदयतन रखेगा तथा सरकार के ऐसे विभागों, स्थानीय प्राधिकारियों तथा व्यक्तियों की सहायता करेगा जैसे कि योजनाओं तथा युक्तियों की तैयारी में प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट हो तथा उन्हें समन्वित करेगा;

(आ) उप धारा (1) के अधीन योजना तैंयार करते समय योजना तैंयार करने वाला अभिकरण निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुये योजना में समुचित व्यवस्थायें करेगा, अर्थात–

(क) उन आपदाओं का प्रकार जो कि घटित हो सकती है और उनके सम्भावित प्रभाव;

(ख) वे समुदाय तथा सम्पत्ति जिन पर खतरा हो;

(ग) समुचित निवारण तथा न्यूनीकरण युक्तियों हेतु उपबन्ध;

(घ) आपदा से निपटने में अक्षमता तथा क्षमता निर्माण को बढ़ावा;

(ड़) आपदा निवारण के लिये युक्तियों का एकीकरण तथा राज्य में विकास योजनाओं, कार्यक्रमों तथा ऐसे अन्य क्रियाकलापों द्वारा इसके प्रभावों का न्यूनीकरण;

(च) प्रकृति के आंकलन हेतु उपबंध तथा आपदा के प्रभावो की विशालता;

(छ) प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित कोई अन्य विषय;

(झ) आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केन्द्र राज्य के लिये एकमहायोजना तैंयार करेगा या करवायेगा तथा उसका अनुरक्षण करेगा;

4- जागरूकता तथा तैयारी :

(अ) आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केन्द्र जागरूकता तथा तैंयारी को बढ़ावा देगा या दिलवायेगा तथा सम्भावित आपदा से निपटने के लिये समुदाय तथा स्टेकहोल्डर्स की क्षमता में वृद्व करने के दृष्टिकोण से समुदाय तथा स्टेकहोल्डर्स को निम्न विषयों पर सलाह देगा और उन्हें प्रशिक्षित करेगाः

(क) इस निमित्त मार्गदर्शक सिद्वान्त तथा संस्तुतियों के प्रकाशन द्वारा;

(ख) अपने इलैक्ट्रोनिक सूचना सामग्री आधार तक सुगम पहुॅच द्वारा;

(ग) आपदा प्रबंधन क्षमता निम्रण के उत्थान तथा समुदाय व अन्य स्टेकहोल्डर्स के मध्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा;

(घ) आपदाओं की भेद्यता में कमी के लिये कार्यविधि विकसित करने में सहायता द्वारा;

(ड) विकास योजनाओं कार्यक्रमों तथा ऐसे अन्य कार्यकलापों द्वारा जागरूकता व तैंयारी के लिये कार्यविधि के एकीकरण में समन्वय द्वारा; तथा

(च) इस निमित्त जैसा उचित समझे वैसे किसी अन्य तरीके से कार्य द्वारा आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केन्द्र जैसा वह आवश्यक समझे, आपदा की तैयारी के लिये बीमे सहित, खतरा स्थानान्तरित करने के यंत्र जाल से सम्बन्धित वैसी नीतियॉ बनायेगा तथा उन्हें क्रियान्वित करेगा या करवायेगा।

4– कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान

केन्द्र के शासी निकाय जो मार्ग दर्शक/नीति निर्धारण समिति है, के अधीन अधिशासी मण्डल रखा गया है। इस अधिशासी मण्डल के पदेन अध्यक्ष, प्रमुख सचिव/सचिव, आपदा प्रबन्धन, उत्तराखण्ड शासन है, जो केन्द्र के दक्षता मानक प्राधिकार निर्धारित करते है। जिसके निर्वहन के लिये केन्द्र के समस्त प्राधिकार अधिशासी निदेशक में निहित है। आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र द्वारा अपने विभिन्न क्रियाकलापों/कार्यक्रमों का सम्पादन शासनादेशों के अनुसार किया जाता है। केन्द्र द्वारा अपने निर्णय से कोई कार्यक्रम नहीं चलाया जाता है।

आपदा राहतः

भारत में संस्थागत व्यवस्थाः

परिशिष्ट का उद्देश्य

वर्तमान में भारत में आपदा प्रबन्धन के लिये औपचारिक रूप से धन की उपलब्धता इस सम्बन्ध में वित्त आयोग द्वारा की गयी उपयुक्त संस्तुतियों के आधार पर की जाती है।

आपदा राहत कोष

दूसरे वित्त आयोग से अब तक सभी वित्त आयोगों द्वारा राहत व्यय के लिये धन उपलब्धता की समस्या को मान्यता दी गयी है। सभी वित्त आयोगों ने आपदा राहत के लिये राज्य सरकार के राजस्व से व्यवस्था किये जाने के साथ–साथ एक सीमा तक केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को इस हेतु सहायता प्रदान किये जाने की संस्तुति की है। दूसरे वित्त आयोग की संस्तुतियों पर आधारित पूर्व की व्यवस्था (जिसे सीमान्त धन योजना या Margin Money Scheme भी कहा जाता है) के अन्तर्गत राज्यों द्वारा निर्धारित धनराशि को आपदा सम्बन्धित व्ययों के दृष्टिगत पृथक रखे जाने और अतिरिक्त व्यय का वहन केन्द्र द्वारा किये जाने की व्यवस्था की गयी थी। आठवे वित्त आयोग तक सभी आयोगों द्वारा कुछ परिवर्तनों के साथ इस व्यवस्था को बनाये रखने की संस्तुति की गयी थी।

वर्तमान में स्थापित आपदा राहत कोष की व्यवस्था मूलतः नौवे वित्त आयोग की संस्तुतियों पर आधारित है राज्यों के लिये आपदा राहत कोष के विस्तार को निधारित करने के लिये नौवे वित्त आयोग ने स्वयं को पूर्व के आयोगों की तरह (चौथे से आठवे तक) ''सीमान्त धन'' तक सीमित न रखते हुवे योजनागत सहायता अग्रिम (अनुदान एवं ऋण), विशिष्ट केन्द्रीय सहायता एवं 1988–89 में अन्त हो रही दस वर्षो की अवधि में स्वयं राज्यों के 25 प्रतिशत अंश सहित अधिकतम औसत व्यय को संज्ञान में लिया गया इस आधार पर सभी राज्यों के लिये आपदा राहत कोष का वार्षिक परिमाण कुल 804 करोड़ रूपया निर्धारित किया गया। दसवे वित्त आयोग द्वारा आपदा राहत कोष का परिमाण निर्धारित करने के लिये वर्ष 1983–84 से 1989–90 तक किये गये समस्त व्ययों के औसत के साथ–साथ वर्ष 1990–91

से 1992–93 तक आपदा राहत कोष के आकार को आधार माना गया। सभी राज्यों के लिये इस प्रकार से किये गये निर्धारण को वर्ष 1994–95 तक मुद्रा स्फीति के लिये समायोजित करते हुवे पुनः निर्धारित किया गया एवं तद्पश्चात वर्ष 1999–2000 तक निर्धारित दर से समायोजन सुनिश्चित करते हुए इसमें अन्य गैर योजनागत राजस्व व्ययों की ही तरह लचीली व्यवस्था का प्रावधान किया गया। इस प्रकार 1995–2000 की अवधि के लिये आपदा राहत कोष के परिमाण को 6304.27 करोड़ निर्धारित किया गया।

ग्यारहवे वित्त आयोग की संस्तुतियों पर आधारित आपदा राहत कोष की वर्तमान व्यवस्था के मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैः

1. आपदा राहत कोष का उपयोग चक्रवात, सूखा, भूकम्प, आग, बाढ़ व ओलावृष्टि से प्रभावितों को तत्कालिक राहत प्रदान करने में हुए व्ययों के लिये किया जा सकता है।

2. राज्यों के लिये आपदा राहत कोष के परिमाण का निर्धारण मुख्य शीर्षक 2245 के अन्तर्गत 1998–99 में खत्म हो रहे 12 वर्षो के औसत व्ययों के आधार पर वर्ष 1998–99 के मूल्यों के अनुरूप किया गया और इसे औद्योगिक कार्मिकों के लिये प्रयुक्त उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर मुद्रा स्फीति के लिये पूर्णतः समायोजित किया गया। इस प्रकार से निर्धारित धनराशि को अनुमानित मुद्रा स्फीति दरों के आधार पर 1999–2000 तक प्रक्षेपित किया गया और वर्तमान मुद्रा स्फीति दरों के आधार पर 2004–05 तक वार्षिक व्यवस्था की गयी। यह सुनिश्चित करने के लिये कि किसी भी राज्य के लिये पूर्व में निर्धारित आपदा राहत कोष के परिमाण में कमी न हो औसत व्ययों के कम होने की स्थिति में 2000–01 के लिये किये गये निर्धारण को 1999–2000 के स्तर पर ही रखा गया। अपेक्षाकृत कम सम्पन्न राज्यों (जैसे आसाम, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व पश्चिम बंगाल) के आपदा राहत कोष को कुल आपदा राहत कोष के 10 प्रतिशत की अतिरिक्त व्यवस्था द्वारा सुदृढ़ किया गया और इस अतिरिक्त आवांटन को इन छः राज्यों के लिये निर्धारित आपदा राहत कोष के परिमाण के अनुपात में परस्पर बॉटे जाने की व्यवस्था की गयी।

3. आपदा राहत कोष के लिये केन्द्र व राज्य के अंशों को 75:25 के अनुपातानुसार निर्धारित किये जाने की व्यवस्था की गयी।

4. केन्द्र सरकार के अंश को राज्य सरकारों को दो किस्तों में अवमुक्त किये जाने का प्रावधान किया गया (प्रत्येक वित्तीय वर्ष की मई व नवम्बर की पहली तारीख में) इसी प्रकार अपने अंश सहित राज्य सरकारों द्वारा सम्पूर्ण धनराशि को उसी वर्ष की मई व नवम्बर में कोष में स्थानान्तरित किये जाने का प्रावधान रखा गया। किस्त अवमुक्त किये जाने से पहले राज्य सरकार द्वारा पूर्व में अवमुक्त राशि को कोष में जमा किये जाने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की अनिवार्यता रखी गयी। इस प्रमाण पत्र के साथ आपदा राहत कोष से किये गये व्ययों व अवशेष धनराशि का विवरण भी उपलब्ध करवाये जाने की व्यवस्था की गयी। यह

सुनिश्चित किये जाने के लिये कि आपदा राहत कोष में उपलब्ध धनराशि का उपयोग केवल विशेषज्ञ समिति द्वारा निर्धारित मदों/मानकों के अनुरूप ही किया जाये केन्द्र सरकार द्वारा व्ययों का मदवार विवरण दिये जाने के लिये एक विस्तृत प्रारूप निर्धारित किया गया है।

5. आपदा राहत कोष से निकाली गयी राशि का उपयोग प्रभावित क्षेत्र एवं जन समुदाय को तत्कालिक राहत दिये जाने के लिये गृह मंत्रालय (जो कि कृषि मंत्रालय के स्थान पर वर्तमान में आपदा राहत कोष के संचालन के लिये उत्तरदायी है) द्वारा व्यय हेतु निर्गत मदों/मानकों के मार्ग निर्देशों के अनुरूप ही किये जाने की व्यवस्था स्थापित की गयी।

6. प्रभावित क्षेत्र एवं आबादी से सम्पर्क और आपदा राहत प्रचालनों से सीधे जुड़े विषयों के अतिरिक्त अवसंरचनाओं के पुनः स्थापन एवं अन्य स्थायी परिसम्पत्तियों पर होने वाले समस्त व्ययों का वहन प्राथमिकता के आधार पर योजनागत मदों से किया जाना सुनिश्चित किये जाने की व्यवस्था की गयी।

7. किसी विशेष वर्ष में व्यय की जाने वाली राशि आपदा राहत कोष में उपलब्ध राशि से अधिक होने की स्थिति में राज्य सरकार अगले वर्ष के लिये केन्द्र से देय धनराशि का 25 प्रतिशत अग्रिम ले सकती है। अग्रिम राशि को अगले वर्ष केन्द्र द्वारा देय धनराशि के सापेक्ष समायोजित किये जाने की व्यवस्था स्थापित की गयी।

8. आपदा राहत कोष का संचालन राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राहत कार्यो से जुड़े अधिकारियों व विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों की समिति के द्वारा किया जाने का प्रावधान है। यह समिति राहत कार्यो में होने वाले व्ययों के वित्तपोषण, सम्बन्धित सरकारों से सहयोग लेने एवं केन्द्र सरकार द्वार निर्धारित मानकों के अनुरूप आपदा राहत कोष में उपलब्ध राशि के निवेश के सम्बन्ध में समस्त निर्णयों के लिये उत्तरदायी है। यह सुनिश्चित करने का समस्त उत्तरदायित्व भी इसी समिति का है कि आपदा राहत कोष की धनराशि का उपयोग वास्तव में उन्ही प्रयोजनों के लिये किया जा रहा है जिसके लिये इस कोष को बनाया गया है और यह व्यय गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानकों व मदों के अक्षरसः अनुरूप है।

9. आपदा राहत कोष का निवेश राज्य की राजधानी में स्थित भारतीय रिजर्व बैंक की शाखा के माध्यम से किये जाने का प्रावधान है उन राज्यों में जहॉ राज्य की राजधानियों में इस प्रकार की शाखायें नही है यह निवेश भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चिन्हित बैंको के माध्यम से किया जा सकना सम्भव है जम्मू और कश्मीर व सिक्किम सरकार के लिये इन उत्तरदायित्वों का निर्वहन उनके बैंकों द्वारा किया जायेगा। कोष में उपलब्ध समस्त धन को (निवेश पर अर्जित आय सहित) किसी एक या अधिक के रूप में निवेश किये जाने का प्रावधान है जैसे कि 1) केन्द्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूति, 2) अधिसूचित व्यवसायिक बैंको के ब्याज अर्जित करने वाले प्रमाण पत्र या अन्य निवेश, 3) कोषागार द्वारा नीलाम विनियम पत्र एवं 4) सहकारी बैंकों के ब्याज अर्जित करने वाले निवेश। किन्ही कारणों से योजना

द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप निवेश किया जाना सम्भव न हो पाने की स्थिति में समय–समय पर कोष के लिये प्राप्त धनराशि के साथ–साथ कोष द्वारा अर्जित आय को सार्वजनिक कोष में रखा जा सकता है परन्तु इस स्थिति में राज्य सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जमा से अधिक निकासी नियंत्रण योजना के अन्तर्गत प्रयुक्त दरों से आधे के अनुरूप अर्धवार्षिक आधार पर ब्याज दिये जाने की व्यवस्था स्थापित की गयी।

10. पांच वर्षो की योजना अवधि के अन्त में कोष में अवशेष धनराशि राज्यों को अगली योजना के लिये संसाधन के रूप उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान रखा गया।

राष्ट्रीय अप्रत्याशित आपदा कोष

सभी वित्त आयोगों द्वारा असाधारण तीक्ष्णता वाली आपदाओं की स्थिति में केन्द्र सरकार के सीधे हस्तक्षेप की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए इस हेतु उपयुक्त संस्तुतियॉ की गयी है। सातवे व आठवे वित्त आयोगों द्वारा असाधारण तीक्ष्णता वाली आपदाओं की स्थिति में राज्य को उसके निर्धारित अंश के अतिरिक्त विशिष्ट सहायता दिये जाने की संस्तुति की गयी। नौवे वित्त आयोग द्वारा राष्ट्र स्तरीय संलिप्तता की आवश्यकता दर्शाने वाली आपदाओं के घटित होने की स्थिति में केन्द्र द्वारा आवश्यकतानुसार उपयुक्त व प्रभावी कार्य किये जाने और आवश्यक व्ययों का वहन किये जाने की अपेक्षा की गयी थी। असाधारण तीक्ष्णता वाली आपदाओं का सामना करने के लिये दसवे वित्त आयोग द्वारा पहली बार पृथक वित्तीय व्यवस्था हेतु प्रणाली विकसित किये जाने की संस्तुति की गयी। आयोग द्वारा पाया गया कि असाधारण तीक्ष्णता की किसी भी परिभाषा की विवेचना में अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और यह प्रायः अनुत्पादक सिद्ध हो सकता है। आयोग का मत था कि असाधारण तीक्ष्णता का निर्णय व्यक्तिगत परिस्थितियों के आधार पर आपदा की तीक्ष्णता व विस्तार, वांछित राहत सहायता का स्तर परिस्थितियों का सामना करने हेतु राज्य की क्षमता, योजनाओं में सहायता उपलब्ध करवाने हेतु लचीलेपन व विकल्पों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिय। आयोग द्वारा राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (National Fund for Calamity Relief; NFCR) के गठन की संस्तुति की गयी और इस कोष के संचालन और व्यवस्थापन के लिये राष्ट्रीय आपदा राहत समिति (National Calamity Relief Committee; NCRC) को प्राधिकृत किया गया। केन्द्रीय कृषि मंत्री की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय आपदा राहत समिति में केन्द्र व राज्यों, दोनों के ही प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गयी और योजना आयोग के उपाध्यक्ष व कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इसमें सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया। राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के अन्तर्गत 700 करोड़ रूपयों की व्यवस्था की गयी जिसे 75:25 के अनुपात में केन्द्र व राज्य द्वारा अगले 5 वर्षो में दिये जाने का प्रावधान रखा गया।

असाधारण तीक्ष्णता वाली आपदाओं पर गहन विचार–विमर्श के उपरान्त ग्यारहवे वित्त आयोग द्वारा पाया गया कि राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के लिये प्रयुक्त प्रकिृया काफी लम्बा होने के कारण राज्य सरकारों को प्रायः परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आयोग द्वारा यह भी पाया गया कि अनेकों परिस्थितियों में आपदा राहत हेतु गठित केन्द्रीय दलों एवं अन्तर मंत्रालयीय दलों की संस्तुतियों को या तो अस्वीकृत कर दिया जाता है या फिर राहत राशि को काफी घटा दिया जाता है। ग्यारहवे वित्त आयोग द्वारा राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के

अन्तर्गत उपलब्ध–धनराशि को 5 वर्षो के लिये अपर्याप्त पाया गया और यह 1995–98 में इसे बढ़ाये जाने की आवश्यकता से स्पष्ट होता है। इस तथ्य से संतुष्ट होने पर कि कोष से असाधारण तीक्ष्णता वाली आपदाओं का सामना करने के लिये धनराशि की त्वरित उपलब्धता करवा पाना सम्भव नही हो पाता है, आयोग द्वारा राष्ट्रीय आपदा राहत कोष को बन्द किये जाने की संस्तुति की गयी। हॉलांकि ग्यारहवें वित्त आयोग का स्पष्ट मत था कि असाधारण तीक्ष्णता वाली आपदाओं के घटित होने पर राज्यों को स्वयं अपने संसाधनों द्वारा परिस्थितियों का सामना करने के लिये नहीं छोड़ा जा सकता और इन परिस्थितियों में केन्द्र एवं अन्य राज्यों द्वारा आपदा प्रभावित राज्य को सहायता दिया जाना अपेक्षित व स्वाभाविक है।

आयोग के द्वारा असाधारण तीक्ष्णता वाली आपदाओं की स्वतः पहचान किये जाने हेतु केन्द्र सरकार के स्तर पर एक व्यवस्था को विकसित किये जाने की आवश्यकता दर्शायी गयी ताकि राज्य सरकार के प्रत्यावेदन या केन्द्रीय दल द्वारा क्षेत्र का निरीक्षण कर क्षति की व्यापकता व राहत आवश्यकता का निर्धारण किये जाने पर निर्भरता को समाप्त किया जा सके। ग्यारहवे वित्त आयोग द्वारा तद्नुसार राष्ट्रीय अप्रत्याशित आपदा कोष (National Calamity Contingency Fund; NCCF) के गठन की संस्तुति की गयी।

ग्यारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों पर आधारित राष्ट्रीय अप्रत्याशित आपदा कोष की वर्तमान व्यवस्थाओं के मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैः

1. चक्रवात, सूखा, भूकम्प, आग, बाढ़ एवं ओलावृष्टि से सम्बन्धित आपदाओं के परिवीक्षण के लिये गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अन्तर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन केन्द्र (National Centre for Calamity Management; NCCM) का गठन किया गया है और इससे नियमित रूप से इस प्रकार की घटनाओं का परिवीक्षण करने, क्षेत्र और लोगों पर इसके प्रभावों का आंकलन करने एवं तीक्ष्ण आपदा समाधात की स्थिति में राज्य सरकार की स्वयं के संसाधनों से आपदा का सामना किये जाने की क्षमता के आंकलन किये जाने की अपेक्षा की गयी है। उपरोक्त के आधार पर इसके द्वारा स्वयं केन्द्र सरकार को असाधारण तीक्ष्णता वाली आपदाओं के घटित होने और सम्बन्धित राज्य को केन्द्र व अन्य राज्यों से सहायता दिये जाने हेतु उपयुक्तता के सम्बन्ध में संस्तुति की जायेगी। केन्द्र द्वारा इस संस्तुति के आधार पर आवश्यक कार्य किये जायेंगे।

2. इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को प्रदान की गयी सहायता की प्रतिपूर्ति केन्द्रीय करो में विशिष्ट अधिभार के द्वारा किये जाने और इस प्रकार के अधिभार से प्राप्त धन को केन्द्र सरकार के सार्वजनिक लेखा के अन्तर्गत पृथक कोष में रखे जाने का प्रावधान किया गया है। आरम्भ में केन्द्र सरकार द्वारा इस कोष के लिये 500 करोड़ रूपये दिये जाने और इस कोष से किये गये व्ययों की पूर्ति अधिभार द्वारा किया जाना सुनिश्चित किये जाने की व्यवस्था स्थापित की गयी है।

3. राष्ट्रीय कोष में वित्तीय वर्ष 2004–05 के अन्त में उपलब्ध अवशेष राशि अगली योजना में संसाधन के रूप में उपयोग किये जाने के लिये केन्द्र सरकार को उपलब्ध करवाये जाने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गयी है।

बारहवे वित्त आयोग के समक्ष राज्यों के मत

विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा आपदा राहत से सम्बन्धित विषयों पर बारहवे वित्त आयोग के समक्ष अपने मतों को रखा गया जिसका सारांश निम्नवत् हैः

(क) आपदा राहत कोष के परिमाण के सम्बन्ध में आन्ध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, व हिमांचल प्रदेश एवं आसाम द्वारा आपदा राहत कोष में उपलब्ध राशि को क्रमशः दो व तीन गुना बढ़ाये जाने का सुझाव दिया गया। केरल द्वारा आपदा राहत कोष को सम्बन्धित राज्य की वार्षिक योजना के 10 प्रतिशत के बराबर किये जाने का सुझाव दिया गया। कई राज्यों का मत था कि आपदा राहत कोष के परिमाण को केवल वार्षिक व्ययों के आधार पर निर्धारित किया जाना औचित्यपूर्ण नहीं है। जहॉ आन्ध्र प्रदेश व उड़ीसा द्वारा राज्यों की आपदाओं के प्रति संवेदनशीलता एवं तीक्ष्णता पर विचार किये जाने का सुझाव दिया गया मध्य प्रदेश द्वारा सूखा संभावित क्षेत्र, सूखे की अवधि व बारम्बारता के साथ–साथ अन्य पक्षों पर विचार किये जाने के सुझाव दिये गये। बिहार का सुझाव था कि आपदा राहत कोष के आकार को आपदा प्रभावित आबादी, राहत मानको एवं अवसंरचनाओं की पुनः स्थापना में होने वाले व्ययों के आधार पर की जानी चाहिये। इस सम्बन्ध में यह भी कहा गया कि चाहे आकार जो भी हो इसके अन्तर्गत मुद्रा स्फीति के प्रभावों के समायोजन हेतु उपयुक्त व्यवस्था निर्धारित की जानी चाहिये। आपदा राहत कोष के आकार को निर्धारित किये जाने के लिये उत्तर प्रदेश द्वारा राहत कार्यों की तीव्रता, बारम्बारता एवं अवधि पर भी विचार किये जाने का सुझाव किया गया।

(ब) आन्ध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, मेघालय, उडीसा, पंजाब, तमिलनाडु एवं राजस्थान द्वारा आपदा राहत कोष के लिये प्रयुक्त राज्यांश को 10 प्रतिशत किये जाने का सुझाव दिया गया जबकि उत्तर प्रदेश द्वारा इसे 15 प्रतिशत किये जाने का सुझाव दिया गया। आसाम, नागालैण्ड, सिक्किम एवं मणिपुर का मत था कि सम्पूर्ण व्यय का वहन केन्द्र द्वारा किया जाना चाहियें। मध्य प्रदेश का सुझाव था कि अपेक्षाकृत कम विकसित राज्यों के लिये राज्यांश दिये जाने की अनिवार्यता समाप्त कर दी जाने चाहिये या फिर इन राज्यों के लिये राज्यांश को 10 प्रतिशत तक सीमित किये जाने का प्रावधान किया जाना चाहिये। त्रिपुरा का मत था कि विशिष्ट श्रेणी वाले राज्यों के लिये राज्यांश दिये जाने की बाध्यता को समाप्त कर दिया जाना चाहिये। इसी प्रकार उत्तरांचल का सुझाव था कि उसकी तरह आपदाओं से प्रायः प्रभावित होने वाले और आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों को राहत सम्बन्धित समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति केन्द्र से शत–प्रतिशत अनुदान के आधार पर की जानी चाहिये। मणिपुर द्वारा राज्य की आर्थिक समस्याओं के दृष्टिगत आपदा राहत कोष की सम्पूर्ण धनराशि केन्द्र द्वारा दिये जाने का अनुरोध किया गया।

(स) आपदा राहत कोष के अन्तर्गत अनुमन्य राहत हेतु राज्यों द्वारा कई अन्य आपदाओं को इसमें सम्मिलित किये जाने का सुझाव दिया गया। इनमें से कई क्षेत्र विशेष के लिये प्रयुक्त होने वाली आपदायें थी और इनके सम्बन्ध में इनसे प्रभावित होने वाले

राज्यों द्वारा प्रावधानों को संशोधित किये जाने के सुझाव दिये गये। राज्यों द्वारा आपदा राहत कोष के लिये प्रयुक्त छः आपदाओं के अतिरिक्त अन्य को सम्मिलित किये जाने के सुझाव दिये गये जो कि क्रमशः भू स्खलन (अरूणांचल प्रदेश, आसाम एवं तमिलनाडु), भू–क्षरण (आसाम), लू एवं शीत लहरी (बिहार, हरियाणा एवं उड़ीसा), बज्रपात (हरियाणा), जल प्लावन (पंजाब), बॉस फूलना (मिजोरम) एवं जलधाराओं के मार्ग परिवर्तन (बिहार) है।

(द) आन्ध्र प्रदेश, आसाम, हिमांचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल व उत्तर प्रदेश द्वारा राज्यों को आपदा राहत कोष से क्षतिग्रस्त अवसंरचनाओं की मरम्मत एवं इन्हें आपदा पूर्व के स्तर तक लाने हेतु व्यय अनुमन्य किये जाने का अनुरोध किया गया। राज्यों द्वारा आपदा राहत कोष से राहत कार्यों हेतु व्ययों के लिये निर्धारित मानकों में शिथिलता का भी अनुरोध किया गया ताकि योजना में अपेक्षित लचीलापन आ सके। आन्ध्र प्रदेश द्वारा तीक्ष्ण सूखें की स्थिति में मानकों को शिथिल किये जाने का सुझाव दिया ताकि इन परिस्थितियों में आपदा राहत कोष में उपलब्ध राशि का उपयोग स्थायी परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिये किया जा सके, जैसे कि कुए खोदना, पम्प लगवाना व अन्य। गुजरात व उत्तर प्रदेश का मत था कि राहत कार्यो के परिवीक्षण व अन्य में आये प्रशासनिक व्ययों को भी आपदा राहत कोष से वहन किये जाने की व्यवस्था की जानी चाहिये।

(ई) गुजरात व छत्तीसगढ़ द्वारा आपदा राहत कोष में उपलब्ध राशि के निवेश हेतु पूर्ण स्वतंत्रता दिये जाने का अनुरोध किया गया। जहॉ गुजरात द्वारा इस राशि को राज्य के सार्वजनिक कोष में रखे जाने हेतु प्रावधान किये जाने का सुझाव दिया, छत्तीसगढ़ द्वारा इस विषय में पूर्ण स्वतंत्रता दिये जाने का अनुरोध किया गया। उत्तर प्रदेश का मत था कि आपदा राहत कोष में उपलब्ध धन पर सर्वाधिक आय अर्जन व तत्कालिक उपलब्धता के दृष्टिगत निवेश के विकल्प निर्धारण का अधिकार राज्यों को दिया जाना चाहिये।

(फ) राज्यों द्वारा राष्ट्रीय अप्रत्याशित आपदा कोष को बनाये रखने परन्तु इसके अन्तर्गत उपलब्ध कोष का विस्तार किये जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। आन्ध्र प्रदेश, अरूणांचल प्रदेश व पश्चिम बंगाल के मतानुसार राष्ट्रीय अप्रत्याशित आपदा कोष में उपलब्ध राशि अपर्याप्त है और इसे बढ़ाया जाना चाहिये। केरल का सुझाव था कि इस धनराशि को आपदा राहत कोष में केन्द्र के कुल अंश के 10 प्रतिशत के स्तर तक बढ़ाया जाना चाहिये महाराष्ट्र के अनुसार राष्ट्रीय अप्रत्याशित आपदा कोष की राशि को 500 करोड़ से बढ़ा कर 1000 करोड़ किया जाना चाहिये।

(ज) केरल का मत था कि असाधारण तीक्ष्णता वाली आपदाओं को स्पष्ट परिभाषित किया जाना चाहिये। इस हेतु विभिन्न आपदाओं के लिये तीक्ष्णता के मानक तय किये जाने के सुझाव दिये गये ताकि निर्धारण में संशय व देरी न हो। उड़ीसा के अनुसार असाधारण तीक्ष्णता वाली आपदाओं की स्थिति में पुनर्वास हेतु सहायता प्रचुरता से उपलब्ध होनी चाहिये और इसके व्यय के लिये काफी लचीलापन होना चाहिये और इस परिस्थिति में किसी भी तरह का पक्षपात नहीं होना चाहिये।

बारहवें वित्त आयोग के समक्ष केन्द्र सरकार का मत

गृह मंत्रालय के द्वारा आपदा पश्चात राहत के स्थान पर आपदा घटित होने से पहले उचित तैयारी एवं न्यूनीकरण पर ध्यान केन्द्रित किये जाने की आवश्यकता के पक्ष में सशक्त तर्क प्रस्तुत किये गये। मंत्रालय द्वारा पूर्व तैयारी एवं न्यूनीकरण सम्बन्धित पक्षों के लिये मंत्रालय के अधीन पृथक आपदा न्यूनीकरण कोष स्थापित किये जाने का सुझाव दिया गया। गृह मंत्रालय द्वारा वित्त आयोग को विशेष समिति की संस्तुतियों के आधार पर अनुमन्य व्यय मानकों में किये गये परिवर्तनों के विषय में सूचित किया गया कि राज्यो को हर वर्ष आपदा राहत कोष में अर्जित धनराशि का 10 प्रतिशत खोज एवं बचाव उपकरणों के क्रय के साथ–साथ राज्यों द्वारा स्थापित खोज एवं बचाव दलों के प्रशिक्षण पर व्यय करने हेतु अनुमति प्रदान की गयी है। उपरोक्त के साथ–साथ आपदा राहत कोष से विशेषज्ञ दलों के प्रशिक्षण व्यय पर स्वीकृति को गृह मंत्रालय द्वारा इस कोष को पूर्व तैयारी हेतु व्यय किये जाने की सैद्धान्तिक सहमति के रूप में उल्लेखित किया गया।

इसके विपरीत वित्त मंत्रालय का मत था कि आपदा राहत कोष या राष्ट्रीय अप्रत्याशित आपदा कोष को मूलतः आपदा उपरान्त तत्कालिक राहत कार्यो के लिये रखा जाना अत्यन्त महत्वपूर्ण है और न्यूनीकरण, पुनर्निर्माण एवं अन्य सम्बन्धित कार्यो के लिये विशिष्ट योजनागत व्यवस्थाये की जानी चाहिये। गृह मंत्रालय का मत था कि औसत व्यय के आधार पर आपदा राहत कोष का आकार निर्धारित करने की वर्तमान व्यवस्था आर्थिक रूप से पिछड़े और कोष का जिम्मेदारी से उपयोग करने वाले राज्यों के प्रति भेदभावपूर्ण है। अतः मंत्रालय द्वारा राज्यों की आपदाओं के प्रति संवेदनशीलता, आपदाओं का इतिहास, गरीबी का स्तर, पिछले दशक में आपदाओं से हुई क्षति एवं इस प्रकार के अन्य पक्षों को वर्तमान व्यवस्था में समावेशित करते हुए आपदा राहत कोष का आकार निर्धारित किये जाने की प्रकृिया स्थापित किये जाने की संस्तुति की गयी। गृह मंत्रालय द्वारा भू–स्खलनों व हिम स्खलनों को आपदाओं की सूची में सम्मिलित किये जाने और राष्ट्रीय अप्रत्याशित आपदा कोष से केन्द्र शासित प्रदेशों को सहायता अनुमन्य किये जाने का सुझाव दिया गया।

बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियां

राज्यों एवं केन्द्रीय मंत्रालयों के सुझावों पर विचार करने के उपरान्त बारहवें वित्त आयोग ने पाया कि आपदा राहत कोष द्वारा आपदा उपरान्त तत्कालिक राहत के उद्देश्यों की पूर्ति की जा रही है अतः कुछ परिवर्तनों के साथ इस कोष के वर्तमान स्वरूप को बनाये रखने की संस्तुति प्रदान की गयी।

आपदा राहत कोष का परिमाण निर्धारित करने के लिये वर्ष 1993–94 से 2002–03 के मध्य प्रमुख मद 2245 के अन्तर्गत किये गये व्ययों को ही संज्ञान में लिया गया क्योंकि वर्ष 2003–04 के लिये केवल पुनर्निरीक्षित आंकलन ही उपलब्ध थे। इसमें राष्ट्रीय अप्रत्याशित आपदा कोष के विनियोजनों को सम्मिलित नहीं किया गया। पदपश्चात आपदा राहत कोष का आकार तय करने के लिये ग्यारहवे वित्त आयोग द्वारा प्रयुक्त प्रणाली का उपयोग किया गया। इन सालों में किये गये कुल व्यय के औसत को वर्ष 2003–04 के लिये प्रायोज्य मानते हुए तदपश्चात 2009–10 तक की अवधि के लिये इसमें 5 प्रतिशत वार्षिक मुद्रा स्फीति की दर को जोड़ा गया। आयोग द्वारा पाया गया कि कुछ घटनाओं के कारण (जैसे गुजरात में भूकम्प या उड़ीसा में महाचक्रवात) कुछ विशेष वर्षों में राज्यों के व्ययों में अत्यधिक वृद्धि हुई है और

सम्भव है कि वर्तमान आयोग की क्रियान्यवन अवधि में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। वित्त आयोग द्वारा यह भी टिप्पणी की गयी कि व्यय को आपदा राहत कोष के आकार के निर्धारण का मानक माना जाना उन राज्यों के साथ पक्षपातपूर्ण होगा जो आवश्यकता होने पर भी वित्तीय क्षमता के कारण अपेक्षित व्यय नही कर पाते। ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा न्यून आय वाले राज्यों (आसाम, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश) के लिये आपदा राहत कोष के कुल परिमाण के 10 प्रतिशत का अतिरिक्त प्रावधान किया गया था। बारहवें वित्त आयोग का मत था कि न्यून आय वाले राज्यों की समस्यायें यथावत बनी हुई है अतः इसके द्वारा आपदा राहत कोष के अन्तर्गत 25 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान किये जाने और इसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा व पश्चिम बंगाल के साथ–साथ विशिष्ट श्रेणी राज्यों के मध्य बांटे जाने की संस्तुति की गयी। ग्यारहवें वित्त आयोग की क्रियान्यवन अवधि में गठित राज्यों (उत्तरांचल, झारखण्ड व छत्तीसगढ़) के आपदा राहत कोष का निर्धारण उनके भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुपातानुसार किया गया था। उत्तरांचल (जिसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है) के लिये औसत आपदा राहत व्यय की गणना क्षेत्रफल के आधार पर किये जाने को आयोग द्वारा औचित्यपूर्ण नहीं माना गया। आयोग द्वारा स्वीकार किया गया कि हिमाचल प्रदेश के साथ भौगोलिक एवं जलावायु की समानता होने के साथ–साथ उत्तरांचल की जनसंख्या अधिक है अतः हिमाचल प्रदेश के सापेक्ष उत्तरांचल के आपदा राहत कोष में समानता लाने के लिये उत्तरांचल के कोष में बारहवें वित्त आयोग द्वारा 144 करोड़ रूपयों की वृद्धि की संस्तुति की गयी। इन सभी विचारों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक राज्य के लिये 2005–06 से 2009–10 तक वार्षिक अनुमन्य आपदा राहत कोष की गणना की गयी। इस प्रकार आपदा राहत कोष का परिमाण ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत 11,007.59 करोड़ रूपयों से बढ़ कर 21, 333.33 करोड़ रूपया हो गया। इसी क्रम में केन्द्र द्वारा देय अंश 8,255.69 करोड़ रूपयों से बढ़ कर 16,000 करोड़ रूपया हो गया। यह महत्वपूर्ण है कि बारहवें वित्त आयोग द्वारा हर राज्य के लिये संस्तुत आपदा राहत कोष का परिमाण ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा की गयी संस्तुतियों से अधिक है (मुद्रा स्फीति को समायोजित किये जाने के पश्चात भी) और इसके द्वारा राज्यों की आपदा राहत कोष के आकार को बढ़ाये जाने व मुद्रा स्फीति को इसमें समावेशित किये जाने की मॉग की पूर्ति होती है। इसके साथ ही राज्यों व गृह मंत्रालय (भारत सरकार) के अन्य पक्षों (जैसे राज्यों की आपदाओं के प्रति संवेदनशीलता व तीक्ष्णता, आपदाओं से पिछले दशक में हुई क्षति का परिमाण) को आपदा राहत कोष का आकार निर्धारित करने के लिये संज्ञान में रखे जाने के सुझावों से आयोग संतुष्ट नहीं हो पाया। बारहवॉ वित्त आयोग भी ग्यारहवें वित्त आयोग के इस मत से पूर्णतः सहमत था कि एक निश्चित समय अन्तराल में प्रमुख मद 2245 के अन्तर्गत किये गये व्ययों के द्वारा इन सभी पक्षों को संज्ञान में लिया जा सकना सम्भव है। ग्यारहवें वित्त आयोग की ही तरह बारहवॉ वित्त आयोग भी आपदा राहत कोष में राज्यों के अंश को कम किये जाने सम्बन्धित सुझावों से प्रभावित नहीं हो पाया और इस विषय पर आयोग का स्पष्ट मत था कि राज्यों द्वारा दिये जाने वाले अंश से राज्यों में उत्तरदायित्व की भावना आती है व कोष के दुरूपयोग की संभावनाओं में कमी आती है। उपरोक्त के दृष्टिगत बारहवें वित्त आयोग द्वारा आपदा राहत कोष के लिये केन्द्रांश व राज्यांश को पूर्व की तरह 75: 25 के अनुपात में ही रहने देने की संस्तुति की गयी।

बारहवें वित्त आयोग का मत राज्यों द्वारा दिये गये सुझावों के क्रम में अन्य आपदाओं को भी आपदा राहत कोष की परिधि में लाये जाने या पूर्व की आपदा सम्बन्धित परिभाषा को

परिवर्तित किये जाने के पक्ष में था। आयोग द्वारा आपदा राहत कोष के संदर्भ में वर्तमान में प्रयुक्त प्राकृतिक आपदा की परिभाषा को विस्तारित किये जाने और इसमें भू–स्खलन, हिम स्खलन, बादल फॅटना व कीट आक्रमण को समावेशित किये जाने की संस्तुति की गयी। बारहवें वित्त आयोग के द्वारा आपदा राहत कोष के लिये प्रयुक्त आपदा की परिभाषा को और अधिक विस्तारित किये जाने पर असमर्थता व्यक्त की गयी। आयोग का मत था कि अन्य आपदाओं (जैसे वायु/रेल दुर्घटना, रसायनीय या औद्योगिक आपदा) के संदर्भ में वर्तमान व्यवस्थाओं के अनुरूप सम्बन्धित मंत्रालय द्वारा प्रसंगिक प्रतिक्रिया किया जाना ही ज्यादा प्रभावी होगा।

बारहवें वित्त आयोग का स्पष्ट मत था कि अवसंरचनाओं के पुनः स्थापन एवं स्थायी परिसम्पत्तियों के निर्माण पर हुए व्ययों को आपदा राहत कोष की परिधि से बाहर रखा जाना चाहिये और इनके आपदा राहत कोष की परिधि से लाये जाने की स्थिति में कोष पर असाधारण दबाव पड़ने के साथ–साथ कोष के अपव्यय होने की संभावनाओं में भी वृद्धि होगी जो कि आपदा राहत कोष को स्थापित किये जाने के उद्देश्यों के प्रतिकूल होगा। आयोग का मत था कि क्षतिग्रस्त अवसंरचनाओं की पुनः स्थापना प्रायः क्षति के कारणों के विस्तृत आंकलन के आधार पर विकसित नये मानकों के अनुरूप किये गये नियोजन के अनुसार की जाती है और इन कार्यो को किसी भी तत्कालिक राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जा सकना सम्भव नही है।

गृह मंत्रालय (भारत सरकार) सहित अनेक राज्यों द्वारा बारहवें वित्त आयोग के समक्ष आपदा पूर्व तैयारी व न्यूनीकरण सम्बन्धित सुझाव दिये गये थे। आयोग द्वारा इनके महत्व को स्पष्टतः स्वीकार भी किया गया परन्तु आयोग का मत था कि इन कार्यो के लिये राज्य योजना के अन्तर्गत प्रावधान किया जाना अधिक उपयुक्त विकल्प होगा।

आयोग द्वारा स्पष्ट किया गया कि आपदा राहत कोष या राष्ट्रीय अप्रत्याशित आपदा कोष को मुख्यतः आपदा राहत पर ही केन्द्रित रहना चाहिये। आपदा पूर्वतैयारी के दृष्टिगतः आयोग को विभिन्न आपदाओं के परिपेक्ष में जोखिम मानचित्रीकरण के सुझाव भी दिये गये थे और इस विषय में आयोग द्वारा वैज्ञानिकों, बाढ़ नियंत्रण विशेषज्ञों व अन्य विशेषज्ञों की समिति द्वारा राष्ट्र की भू–भौतिकी एवं कृषि– मौसमीय विविधता के दृष्टिगत कई राज्यों को प्रभावित करने वाली आपदाओं का अध्ययन किये जाने व जोखिम मानचित्र तैयार किये जाने की संस्तुति दी गयी।

बारहवें वित्त आयोग द्वारा आपदा राहत कोष में अवशेष राशि के सम्बन्ध में वर्तमान निवेश प्रावधानों के साथ–साथ व्यय मानकों पर संतोष व्यक्त किया गया और आवश्यकतानुसार वित्त मंत्रालय द्वारा कोष के निवेश से जुड़े मानकों का पुनरावलोकन किये जाने व राज्यों को तद्सम्बन्धित आवश्यक मार्गनिर्देश दिये जाने का सुझाव दिया और साथ ही यह भी ध्यान रखे जाने की आवश्यकता दर्शायी कि यह मार्गनिर्देश वर्तमान में स्थापित संरचना का उल्लंधन न करे।

आयोग द्वारा राज्यों के राष्ट्रीय अप्रत्याशित आपदा कोष को बनाये रखने के सुझावों पर सहमति व्यक्त की गयी और इसे इसके वर्तमान स्वरूप में बनाये रखने की संस्तुति की गयी।

आयोग द्वारा स्पष्ट किया गया कि कोष राज्यों की क्षमता से बड़े गुजरात भूकम्प व अन्य आपदाओं की कसौटी पर खरा उतरा है। आयोग द्वारा स्पष्ट किया गया कि इस कोष का आकार भी पूर्व में घटित आपदाओं की स्थिति में पर्याप्त सिद्ध हुआ है और इस कोष से व्यय राशि की प्रतिपूर्ति प्रतिवर्ष (विशिष्ट समय सीमा वाले अधिमारों के अभाव में) सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला व अन्य तम्बाकू उत्पादों पर राष्ट्रीय अप्रत्याशित आपदा कर (National Calamity Contigent Duty) लगा कर किये जाने का प्रावधान है। यह अधिभार विशेष रूप से राष्ट्रीय अप्रत्याशित आपदा कोष की प्रतिपूर्ति के लिये प्रयुक्त होता है और वर्ष 2004–05 में इससे 1,767 करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है और इस व्यवस्था के अन्तर्गत कोष में निरन्तर वृद्धि का प्रावधान है।

आयोग द्वारा राज्यों के राष्ट्रीय अप्रत्याशित आपदा कोष में उपलब्ध 500 करोड़ रूपये के मूलधन को बढ़ाये जाने सम्बन्धित सुझावों पर विचार किया गया और पाया कि इस कोष से व्यय राशि की तुरन्त व तदपश्चात प्रतिपूर्ति व्यवस्था के कारण यह राशि असाधारण तीक्ष्णता वाली आपदाओं की स्थिति का सामना करने के लिये पर्याप्त है और मूलधन में वृद्धि हेतु संस्तुति किये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

आयोग द्वारा विशेषकर सूखे की परिस्थिति में केन्द्र द्वारा राज्यों को विगत वर्षों में की गयी खाद्यान्न आपूर्ति पर भी विचार किया गया। साथ ही साथ आयोग द्वारा ग्राम्य विकास मंत्रालय की आपदा राहत कोष के समतुल्य वित्तीय प्रारूप वाली परियोजनाओं पर भी विचार किया गया। इन योजनाओं के अन्तर्गत रोजगारपरक कार्यक्रमों के दृष्टिगत धन व खाद्यान्न दिये जाने की व्यवस्था है। आयोग ने पाया कि मंत्रालय की ग्रामीण रोजगार से जुड़ी सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को कई राज्यों में विशेषकर आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक व राजस्थान में राहत कार्यक्रमों के साथ समायोजित किया गया है। 15.08.2001 को घोषित सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत प्रतिवर्ष राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों को 5,000 करोड़ रूपये मूल्य का 50 लाख टन खाद्यान्न मुफ्त दिये जाने का प्रावधान है। वर्तमान वर्षों में राजस्थान ग्राम्य विकास मंत्रालय की योजना का प्रमुख लाभार्थी रहा है और 2002–03 में इसके द्वारा 70 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया। मंत्रालय की योजना का लाभ उठाने वाला अन्य राज्य आन्ध्र प्रदेश है। योजना में अन्य राज्यों की अधिक प्रतिभागिता न होने पर भी उन्हें इसके अन्तर्गत आवांटित संसाधन आपदा राहत कोष के आवंटनों के समतुल्य है। आपदा प्रभवित राज्यों को केन्द्र सरकार द्वारा आवंटित खाद्यान्न मूलतः सूखे या अन्य आपदा के उपरान्त राहत कार्यो के लिये प्रयुक्त होता है और केन्द्र द्वारा इस कार्यक्रम को पारदर्शी स्वरूप प्रदान करते हुए जारी रखा जा सकता है।

पूर्व में गठित आयोगों द्वारा भी आपदाओं के प्रभावों को सीमित करने के लिये बीमा योजनाओं की संभावना पर भी विचार किया गया था। नौवें वित्त आयोग को राष्ट्रीय बीमा कोष (जिसमें राज्यों द्वारा उनकी राजस्व प्राप्तियों का एक निश्चित प्रतिशत दिये जाने का प्रावधान हो।) की स्थापना की व्यवहार्यता का परीक्षण किये जाने हेतु संदर्भित किया गया था। उपरोक्त के संदर्भ में आयोग द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि आपदा राहत के लिये बीमा कोष की अवधारणा न ही व्यवहारिक है और न ही सम्भव। आयोग का मत था कि बाहरी संस्था द्वारा किये जाने वाले क्षति आंकलन की प्रकिृया काफी लम्बी और जटिल होगी और इसके द्वारा आपदा उपरान्त तत्काल राहत प्रदान किये जाने की आपदा राहत कोष की मूलभूत

अवधारणा की प्रतिपूर्ति कर पाना सम्भव नही हो पायेगा। ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा भी पूर्णतः केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित बीमा योजना की अवधारणा को अस्वीकृत कर दिया गया था। इस विषय पर बारहवें वित्त आयोग का मत था कि कृषि बीमा योजना से विशेषकर आपदा की स्थिति में व्यक्तिगत किसानों को निश्चित ही लाभ होगा, अतः इसके द्वारा इन योजनाओं का सुदृढ़ीकरण किये जाने की संस्तुति की गयी। आन्ध्र प्रदेश, केरल व तमिलनाडु द्वारा बारहवें वित्त आयोग से आपदा प्रभावित व्यक्तियों को राहत प्रदान किये जाने के लिये बीमा योजना के क्रियान्यवन हेतु संस्तुति किये जाने का अनुरोध किया गया था।

नौवें और ग्यारहवें वित्त आयोग के मत का समर्थन करते हुए बारहवें वित्त आयोग द्वारा स्पष्ट किया गया कि इस प्रकार की बीमा योजना से केन्द्र या राज्य सरकार पर इस प्रकार की बीमा योजना का अत्यधिक आर्थिक दबाव पड़ेगा और साथ ही साथ आपदा प्रभावितों को भी बहुत ज्यादा लाभ नहीं होगा। आयोग द्वारा यह भी उल्लेख किया गया कि केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा आपदा संवेदनशील क्षेत्रों में निजी अवसंरचनाओं के बीमें हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिये और इस तरह वह इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकते है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि बीमा योजनाओं व ऋण सम्बन्धित बीमा योजनाओं का सशक्तीकरण एक ऐसा ही उपाय है। इसके अतिरिक्त सूक्ष्म बीमा योजना वर्तमान समय की आवश्यकता प्रतीत होती है। सूक्ष्म बीमा का तात्पर्य बीमित जोखिमों के सापेक्ष लाभार्थियों (जैसे छोटे उद्यमी, छोटे कृषक, भूमिहीन, महिला व न्यून आय वाले व्यक्ति) के जीवन व सम्पत्ति की औपचारिक संस्थाओं (जैसे बीमा कम्पनी) एवं अर्ध–औपचारिक / अनौपचारिक संस्थाओं (जैसे गैर सरकारी संस्थाओं, स्वयं सहायता समूह) के माध्यम से सुरक्षा प्रदान करने से है। यह अवधारणा अभी अपनी शैशवावस्था में है और बीमा नियंत्रक एवं विकास प्राधिकरण सूक्ष्म बीमा सम्बन्धित नियमनों व अधिसूचनाओं को अन्तिम स्वरूप दे रहा है। क्योंकि औपचारिक संस्थाओं की पहुंच काफी सीमित है (प्रायः समाज के ऊपरी वर्ग तक) अतः इस कार्य में आम लोगों की पहुंच में आने वाले गैर सरकारी संगठनों व स्वयं सहायता समूहों की संलिप्तता राज्य सरकारों की सहमति से करे जाने की आवश्यकता है।

बीमा नियंत्रक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा बारहवें वित्त आयोग के समक्ष स्पष्ट किया गया कि अति तीक्ष्ण भूकम्प समाघात द्वारा अत्यधिक क्षति की स्थिति में समस्त बीमा संस्थानों के हानि के जोखिम को कम करने के लिये "जनरल बीमा कम्पनी" द्वारा "भूकम्प कोष" का विकास किया जा रहा है। "भूकम्प कोष" से जुड़ी व्यवस्थाओं को मूर्त रूप देने के लिये एक कार्यदायी दल का गठन किया गया है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत बीमा संस्थाओं द्वारा "भूकम्प कोष" में अंशदान दिया जायेगा एवं किसी विनाशकारी घटना की स्थिति में यह प्रभावित जन समुदाय को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा। यह अपेक्षा की जाती है कि इस प्रकार के बीमा समाधानों की परिणिति आपदा प्रभावितों के लिये व्यवस्थित व उपयुक्त राहत के रूप में होगी।

बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों का सारांश निम्नवत् हैः

(अ) आपदा राहत कोष की व्यवस्था केन्द्रांश व राज्यांश की वर्तमान 75:25 के अनुपात वाली स्थिति में जारी।

(ब) आयोग की क्रियान्यवन अवधि के लिये आपदा राहत कोष का आकार 21, 333. 33 करोड़ रूपया निर्धारित।

(स) आपदा की वर्तमान परिभाषा के अन्तर्गत आने वाली आपदाओं (चक्रवात, सूखा, भूकम्प, आग, बाढ़ व ओलावृष्टि) में भू–स्खलन, हिम– स्खलन, बादल फटना व कीट आक्रमण को जोड़ा गया है।

(द) आपदा पूर्व तैयारी व न्यूनीकरण से सम्बन्धित प्रावधानों हेतु आपदा राहत के अन्तर्गत व्यवस्था के स्थान पर राज्य योजना के अन्तर्गत व्यवस्था किये जाने का सुझाव।

(ई) कई राज्यों को प्रभावित करने वाली आपदाओं के अध्ययन एवं जोखिम मानचित्रीकरण हेतु वैज्ञानिकों, बाढ़ नियंत्रण विशेषज्ञों व अन्य विशेषज्ञों की समिति का गठन।

(फ) राष्ट्रीय अप्रत्याशित आपदा कोष की व्यवस्था पूर्व की तरह 500 करोड़ के मूलधन के साथ जारी। इससे व्यय राशि की प्रतिपूर्ति राष्ट्रीय अप्रत्याशित आपदा कर व अन्य अधिभारों द्वारा किये जाने की व्यवस्था।

(ज) राहत उपायों के अन्तर्गत केन्द्र द्वारा राज्यों को दी जाने वाली खाद्यान्न सहायता को जारी रखा जा सकता है परन्तु इसके लिये एक पारदर्शितापूर्ण योजना को स्थापित किया जाना आवश्यक।

आपदा राहत कोष से व्यय हेतु मानक

गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आपदा राहत कोष एवं राष्ट्रीय अप्रत्याशित आपदा कोष के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि के व्ययों के सम्बन्ध में मानकों का निर्धारण किये जाने का प्रावधान है। वर्तमान में विभिन्न मदों के लिये व्यय मानक निम्नवत् हैः

क्रम संख्या		मद	व्यय मानक
1.		**अनुग्रह राहत**	
	(अ)	मृत व्यक्ति के परिवार को अनुग्रह भुगतान	रू. 50,000/– प्रति मृत व्यक्ति
	(ब)	एक हाथ, पैर या ऑख की हानि	रू. 25,000/– प्रति व्यक्ति (यह अनुग्रह राहत अपंगता के 40 प्रतिशत से अधिक होने की स्थिति में और इसका सत्यापन सरकारी स्वास्थ्य अधिकारी या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा किये जाने पर ही दी जानी चाहिये)
	(स)	जानलेवा चोट जिसमें एक सप्ताह से अधिक अस्पताल में रहना आवश्यक हो	रू. 5,000/– प्रति व्यक्ति
	(द)	बुजुर्ग, निर्बल एवं निराश्रय बच्चे	रू. 20/– प्रति वयस्क व रू. 10/– प्रति बालक प्रतिदिन
	(ई)	उन परिवारों के लिये कपड़े व बर्तन जिनके घर बह गये हो या प्राकृतिक आपदा के कारण पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गये हो	कपड़ों के लिये रू. 500/– एवं बर्तनों के लिये रू. 500/– प्रति परिवार
	(फ)	आपदा के पश्चात जीवन–यापन हेतु अत्यन्त जरूरतमंद परिवारों के लिये अनुग्रह अनुदान। यह केवल उन्हें ही दिया जाना चाहिये जिनके पास आरक्षित खाद्यान्न न हो या आपदा के कारण खाद्यान्न भण्डार नष्ट हो गये हो और जिनके पास जीवन यापन के अन्य कोई साधन न हो।	रू. 20/– प्रति वयस्क एवं रू. 10 प्रति बालक प्रतिदिन सामग्री के रूप में (आवश्यक सामग्रियों के लिये जैसे आटा, खाद्यान्न, मिट्टी तेल, सब्जी, दियासलाई, खाद्य तेल) ज्यादा से ज्यादा दो सप्ताह की अवधि तक या फिर केन्द्रीय दल की संस्तुति के अनुरूप अनुमन्य अवधि तक
2.		**अनुरूपक पोषण**	समाकलित बाल विकास योजना के मानकों के अनुरूप रू. 1.05 प्रतिदिन प्रति व्यक्ति
3.		**छोटे एवं आंशिक कृषकों को निम्न हेतु सहायता**	
	(अ)	अवसाद हटाने के लिये	नाबार्ड प्रारूप पर छोटे व आंशिक कृषकों को

	(ब)	पर्वतीय क्षेत्रों में मलवा हटाने के लिये	क्रमशः 25 प्रतिशत व 331/3 प्रतिशत अधिकतम रू. 5,000/– रूपया प्रति हैक्टेयर की सीमा तक
	(स)	मछली पालन जलाशयों की सफाई/मरम्मत/पुनः स्थापना के लिये	
	(द)	50 प्रतिशत या अधिक फसल क्षति की स्थिति में कृषि निवेश अनुदान	
	(i)	कृषि, बागवानी व सालाना फसलों के लिये	असिंचित क्षेत्रों में रू.1,000 रूपया प्रति हैक्टेयर एवं सुनिश्चित सिचाई वाले क्षेत्रों में रू. 2,500/– प्रति हैक्टेयर
	(i-अ)	प्राकृतिक आपदा के निरन्तरता में होने या अगले वर्ष होने की स्थिति में छोटे व आंशिक कृषकों के अतिरिक्त अन्य के लिये कृषि निवेश अनुदान	रू. 1,000/– प्रति हैक्टेयर की दर से अधिकतम 2 हैक्टेयर प्रति कृषक की सीमा तक
	(ii)	सदाबहार फसल	रू. 4,000/– प्रति हैक्टेयर
	(iii)	रेशम कृषकों को सहायता	मूँगा के लिये रू. 2,000/– प्रति हैक्टेयर ईरी व शहतूत के लिये रू. 1500/– प्रति हैक्टेयर
	(ई)	भू–स्खलन, हिम–स्खलन या नदी के मार्ग बदलने के कारण भूमि की क्षति	रू.10,000/– प्रति हैक्टेयर की दर से
4.		**रोजगार उत्पत्ति** (विभिन्न योजनागत रोजगारपरक कार्यक्रमों की अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये)	दैनिक मजदूरी की दरे सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा अकुशल श्रमिकों के लिये निर्धारित मानकों के अनुरूप। राहत कोष के भाग को 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना) एवं रू. 15 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से (आपदा राहत कोष/ राष्ट्रीय अप्रत्याशित आपदा कोष) एक माह में 10 दिन (उन क्षेत्रों में जहां रोजगारपरक कार्यक्रमों का क्रियान्यवन नहीं है वहॉ 15 दिन) तक सीमित रखा जाये। मानक व सहायता के मध्य अन्तर होने की स्थिति में इसे सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। मॉग का आंकलन कर स्थिति विशेष के अनुरूप हर इच्छुक ग्रामीण परिवार से एक व्यक्ति को रोजगार दिया जाये।

5.		**छोटे व आंशिक कृषकों व कृषि श्रमिकों को पशुपालन सहायता**	
	(i)	दूध, कृषि एवं ढुलाई वाले जानवरों का प्रतिस्थापन	ग्राम्य विकास मंत्रालय की उपयुक्त योजना के अनुरूप
	(ii)	मवेशी शिविर में चारे हेतु	बड़े पशु– रू. 18/– प्रतिदिन प्रति पशु छोटे पशु– रू. 9/– प्रतिदिन प्रति पशु
	(iii)	मवेशी शिविर में जल आपूर्ति	परिस्थितियों के अनुरूप आंकलन पर आधारित
	(iv)	दवा व टीकों हेतु अतिरिक्त व्यय	–तदैव–
	(v)	मवेशी शिविरों के बाहर चारे की आपूर्ति	ढुलाई के अतिरिक्त व्यय का परिस्थितियों के आधार पर आंकलन
	(vi)	उपयोगी मवेशियों का अन्यत्र स्थानान्तरण	सम्बन्धित राज्य सरकार के लिये दुग्ध एवं पशुपालन विभाग के विशेषज्ञों के आंकलन पर आधारित
6.		**मछुवारों को सहायता**	
	(अ)	नाव, जाल एवं अन्य की मरम्मत व पुनर्खरीद	सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत निर्धारित सीमाओं के अनुरूप अन्य उपकरणों के लिये सहायता देय। नाव के मूल्य का निर्धारण भी सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के मानकों के अनुरूप।
	(ब)	मछली पालन हेतु निवेश अनुदान	रू. 2,000/– प्रति हैक्टेयर
7.		**हाथकरघा उद्योग के कारीगरों को क्षतिग्रस्त उपकरणों की मरम्मत / पुनर्खरीद हेतु अनुदान**	
	(अ)	परम्परागत उद्योग	
	(i)	क्षतिग्रस्त उपकरणों के लिये	रू. 1,000/– प्रति व्यक्ति
	(ii)	कच्चे माल के लिये	रू. 1,000/– प्रति व्यक्ति
	(ब)	हाथकरघा बुनकरों के लिये	
	(i)	करघों से सम्बन्धित उपकरणों व अन्य की मरम्मत या पुनर्खरीद	रू. 1,000/– प्रति करघा
	(ii)	सूत एवं अन्य की खरीद हेतु	रू. 1,000/– प्रति करघा
8.		**क्षतिग्रस्त भवन की मरम्मत / पुनर्निर्माण हेतु अनुदान**	

	(अ)	पूर्णतः क्षतिग्रस्त भवन (जहां भवन की मरम्मत किया जाना सम्भव न हो और पुनर्निर्माण आवश्यक हो)	
	(i)	पक्का भवन	रू. 10,000/– प्रति भवन
	(ii)	कच्चा भवन	रू. 6,000/– प्रति भवन
	(ब)	तीक्ष्ण क्षतिग्रस्त भवन	
	(i)	पक्का भवन	रू. 2,000/– प्रति भवन
	(ii)	कच्चा भवन	रू. 1,200/– प्रति भवन
	(द)	आंशिक क्षतिग्रस्त भवन (जहॉ कम से कम 15 प्रतिशत क्षति हो)	रू. 800/– प्रति भवन
9.		**ग्रामीण व शहरी दोनों ही क्षेत्रों में आपातकालीन पेयजल व्यवस्था**	राष्ट्रीय अप्रत्याशित आपदा कोष के लिये केन्द्रीय दल व आपदा राहत कोष के लिये राज्य स्तरीय दल के आंकलन पर आधारित
10.		**महामारी रोकने के दृष्टिगत दवाओं, कीटनाशकों, रोगाणुरोधकों की व्यवस्था**	–तदैव–
11.		**महामारी/बीमारी के दृष्टिगत मवेशियों एवं पक्षियों हेतु दवायें**	–तदैव–
12.		**प्रभावितों या प्रभावित हो सकने वाले व्यक्तियों की निकासी**	–तदैव–
13.		**जीवन रक्षा व तत्कालिक राहत हेतु नावों का किराया**	–तदैव–
14.		**प्रभावित/निकाले गये व्यक्तियों के लिये अस्थाई आवास, भोजन, कपड़े, स्वास्थ्य सुविधा व अन्य की व्यवस्था**	–तदैव–
15.		**आवश्यक आपूर्तियों को वायुमार्ग से गिरवाना**	–तदैव–
16.		**संचार, विद्युत, जन स्वास्थ्य, पेयजल आपूर्ति, प्राथमिक शिक्षा एवं सामुदायिक सम्पत्तियों से सम्बन्धित अवसंरचनाओं की तत्कालिक मरम्मत व पुनःस्थापन**	–तदैव–
17.		**सरकारी अस्पताओं/चिकित्सा केन्द्रों के क्षतिग्रस्त स्वास्थ्य सम्बन्धित**	–तदैव–

		उपकरणों व खराब हो गयी दवाओं की पुनर्खरीद।	
18.		**चिकित्सा वाहनों, सचल चिकित्सा दलों एवं अस्थाई चिकित्सा केन्द्रों का प्रचालनात्मक व्यय** (केवल ईंधन)	–तदैव–
19.		**मलवा निस्तारण का व्यय**	–तदैव–
20.		**प्रभावित क्षेत्रों से जल निकासी हेतु व्यय**	–तदैव–
21.		**खोज एवं बचाव उपायों पर व्यय**	–तदैव–
22.		**मृतकों का अंतिम संस्कार व जानवरों के शवों का निस्तारण**	–तदैव–
23.		**विशेषज्ञ बहु–विद्या युक्त दलों का प्रशिक्षण** (राज्य की विभिन्न सेवाओं के कार्मिकों हेतु)	व्यय आपदा राहत कोष से अनुमन्य
24.		**संचार उपकरणों सहित आवश्यक खोज, बचाव एवं निकासी उपकरणों की खरीद** (वर्ष के लिये आपदा राहत कोष के 10 प्रतिशत की सीमा तक अनुमन्य)	आपदा राहत कोष के लिये गठित राज्य स्तरीय समिति के द्वारा स्वीकृत पर आधारित आंकलन
25.		**4 नम्बर वाले सार्वजनिक दूरभाषों की स्थापना**	व्यय आपदा राहत कोष से अनुमन्य

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 मैनुअल संख्या–5

5– अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र की नियमावली शासनास्तर विचाराधीन है, तथा केन्द्र समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी संविदा पर कार्यरत है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 मैनुअल संख्या–6

6– ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है, प्रवगों का विवरण

आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र के पास उपलब्ध दस्तावेजों का विवरणः

1- जनगणना 2001 के अनुसार ग्राम मानचित्रः

2. (अ) टोपो सीट (1:50000) त्मेजतपबजमक

- 53 I/4
- 53 I/7
- 53 I/8
- 53 I/12
- 53 I/16
- 53 J/1
- 53 J/2
- 53 J/5
- 53 J/6
- 53 J/9
- 53 J/10
- 53 J/11
- 53 J/13
- 53 J/14
- 53 J/15
- 53 N/1
- 53 N/2
- 53 N/3
- 53 N/5
- 53 N/6
- 53 N/7
- 53 N/8
- 53 N/10
- 53 N/11

- 53 N/12
- 53 N/14
- 53 N/15
- 53 N/16
- 53 O/2
- 53 O/3
- 53 O/4
- 53 O/5
- 53 O/6
- 53 O/7
- 53 O/8
- 53 O/9
- 53 O/10
- 53 O/11
- 53 O/12
- 53 O/13
- 53 O/14
- 53 O/15
- 53 O/16
- 53 P/1
- 53 P/5
- 53 P/9
- 53 P/13
- 53 P/14
- 62 B/3
- 62 B/4
- 62 B/8
- 62 B/12
- 62 B/16
- 62 C/1
- 62 C/2

- 62 C/3
- 62 C/6
- 62 C/7
- 62 C/8
- 62 C/9
- 62 D/2

(ब) टोपो सीट (1:50000) Un-restricted

- 53 K/9
- 53 K/10
- 53 K/11
- 53 K/1
- 53 K/2
- 53 K/5
- 53 K/6
- 53 K/14
- 53 K/16
- 53 K/15
- 53 K/13
- 53 F/10
- 53 F/11
- 53 F/14
- 53 F/15
- 53 F/13
- 53 F/16
- 53 F/9
- 53 J/16
- 53 J/3
- 53 J/4
- 53 J/7
- 53 J/8
- 53 J/12
- 53 N/4
- 53 O/1
- 53 K/9
- 53 K/9
- 53 G/9
- 53 G/13
- 53G/14
- 53 E/16

(स) टोपो सीट (1:25000) **Restricted**

- 53 J/1/NW, NE,SW,SE
- 53 J/2/NW, NE,SW
- 53 J/5/SW, SE
- 53 J/6/NW, NE,SW,SE
- 53 J/7/NW, NE,SW,SE
- 53 J/9/NW, NE,SW,SE
- 53 J/10/NW, NE,SW,SE
- 53 J/11/SW
- 53 N/3/NW, NE,SW,SE
- 53 N/6/NW, NE,SW
- 53 O/2/NW, NE,SW,SE
- 53 O/3/NW, NE,SW,SE
- 53 O/6/NW, NE,SW,SE
- 53 O/7/NW, NE,SW,SE
- 53 O/10/NW, NE,SW,SE
- 53 O/11/NW, NE,SW,SE
- 53 O/14/NW,SW,SE
- 53 O/15/ NE,SW,SE
- 62 C/6/SE
- 62 C/8/NW
- 62 C/9/NW,NE

(द) टोपो सीट (1:25000) **Un-restricted**

- 53 F/9
- 53 F/13
- 53 K/15
- 53 K/5/SW
- 53 K/10/NW

Doon & surounding country 1840
Doon & surounding country 1814

3- रिमोर्ट सेसिंग, इमेजरी

- 53 J/14,15
- 53 J/6/SE
- 53 J/6/SW
- 53 J/11/NW
- 53 J/7/NE

- 53 J/10/SW
- 53 J/10/SE
- 53 J/10/NE
- 53 J/10/NW
- 53 K/1/NE
- 53 J/7/SE
- 53 J/7/NE
- 53 J/4
- 53 K/1/SE
- 53 K/1/NW
- 53 J/8/SE
- 53 J/8/SW
- 53 J/8

नोटः उपरोक्त सभी टोपोशीट एवं मानचित्र डॉ0 के0एन0 पाण्डे, कनिष्ठ कार्यकारी के नियन्त्रणाधीन हैं।

प्रकाशन एवं केस स्ट्डीज

1. **Disaster Management:** Issues & Challanges.
2. **प्राकृतिक आपदायें** : खोजना, निकालना और बचाना।
3. **प्राकृतिक आपदायें** : पूर्व तैयारी एवं न्यूनीकरण।
4. **प्राकृतिक आपदायें** : पूर्व तैयारी– क्या करें ? क्या न करें ?
5. **प्राकृतिक आपदायें** : ग्राम स्तरीय आपदा प्रबन्धन।
6. **प्राकृतिक आपदायें** : आपदा प्रबन्धन में सामुदायिक जागरूकता एवं क्षमता निर्माण।
7. **Natural Disaster:** Guedelines on Emergency Preparedness and Disaster Management for Hospitals.
8. **Natural Disaster:** Operating Procedures and Standards- Public Works Department (PWD)
9. **Natural Disaster**: Operating Procedures and Standards- Police
10. **Natural Disaster:** Operating Procedures and Standards- Power Corporation
11. **Natural Disaster:** Operating Procedures and Standards- Agriculture Department.
12. **Natural Disaster:** Operating Procedures and Standards- Irrigation Department.
13. **Natural Disaster:** Operating Procedures and Standards- Jal Sansthan
14. Managing Floods in Eastern Uttar Pradesh.
15. Guidelines And Operational Procedure for the Preparation of Disaster

Management Action Plan (DDMAP).

16. Guidelines Mitigation Strategy.
17. **Manual:** Warning and Evacuation.
18. **Manual:** District Emergency Operation Group (DEOG).
19 **Manual:** State Emergency Operation Group (EOG.).
20 **Manual:** Disaster Management Information System (DMIS).
21. **आपदा प्रबन्धनः** ऊखीमठ भूस्खलन
22. **आपदा प्रबन्धनः** मालपा भूस्खलन
23. **आपदा प्रबन्धनः** शासनादेशों का संकलन
24. **ग्राम स्तरीय आपदा प्रबन्धन कार्ययोजनायेंः** जनपद रूद्रप्रयाग
25. **ग्राम स्तरीय आपदा प्रबन्धन कार्ययोजनायेंः** जनपद उत्तरकाशी
26. **ग्राम स्तरीय आपदा प्रबन्धन कार्ययोजनायेंः** जनपद चमोली
27. **ग्राम स्तरीय आपदा प्रबन्धन कार्ययोजनायेंः** जनपद टिहरी गढ़वाल
28. **ग्राम स्तरीय आपदा प्रबन्धन कार्ययोजनायेंः** जनपद पिथौरागढ़ (मुनस्यारी)
29. **ग्राम स्तरीय आपदा प्रबन्धन कार्ययोजनायेंः** जनपद पिथौरागढ़ (धारचूला)
30. **ग्राम स्तरीय आपदा प्रबन्धन कार्ययोजनायेंः** जनपद बागेश्वर
31. **हस्त पुस्तिकाः** मरम्मत और मजबूतीकरण
32. **हस्त पुस्तिकाः** भूकम्प सुरक्षित घर
33. **भूकम्प अवरोधी निर्माण तकनीकीः** कलैण्डर 2002
34. **भूकम्प अवरोधी निर्माण तकनीकीः** कलैण्डर 2003
35. **अन्तराक्षेपण दलों हेतु सुझाव पुस्तिकाः** रस्सी का उपयोग
36. **अन्तराक्षेपण दलों हेतु सुझाव पुस्तिकाः** आपातकालीन चिकित्सा सेवा
37. **प्राकृतिक आपदायेंः** भूकम्प, कारण एवं निवारण
38. **प्राकृतिक आपदायेंः** भूस्खलन, कारण एवं निवारण
39. **आपदा प्रबन्धनः** आपदा प्रबन्धकों की हस्तपुस्तिका
40. Forest Fire Management
41. **उत्तराखण्डः** आपदा प्रबन्धन (कक्षा–9)
42. **उत्तराखण्डः** आपदा प्रबन्धन (कक्षा–10)
43. **कलैन्डरः** 2007
44. आपदा प्रबन्धन की हस्तपुस्तिका
45. आपदा सुरक्षित उत्तराखण्ड
46. **आपदा प्रबन्धनः** बचाव हेतु आवश्यक जानकारियॉ

47. **सर्वेक्षण आख्याः** थाती कठूड़ (बूढ़ाकेदार) टिहरी गढ़वाल

48. **सर्वेक्षण आख्याः** खेत गॉव

49. **सर्वेक्षण आख्याः** तोक–हुड़की, कौली, (पिथौरागढ़)

50. **सर्वेक्षण आख्याः** ग्राम जिमिया, सैन, जिमियाघाट, कुलथम, तल्ला डुमर, उमली भंडारी गॉव (पिथौरागढ़)

51. **सर्वेक्षण आख्याः** आमपड़ाव ग्राम चौपड़ा , (नैनीताल)

52. **सर्वेक्षण आख्याः** कर्णप्रयाग (चमोली)

53. **सर्वेक्षण आख्याः** ऋषिकेश–बद्रीनाथ राज मार्ग, देवप्रयाग (टिहरी गढ़वाल)

54. **सर्वेक्षण आख्याः** मसूरी–कैम्पटीफाल मार्ग

55. **सर्वेक्षण आख्याः** टिहरी डेम

56. **सर्वेक्षण आख्याः** वरूणावत

57. **सर्वेक्षण आख्याः** रमोलसारी (टिहरी गढ़वाल)

58. **सर्वेक्षण आख्याः** श्री श्याम पेपर मिल, काशीपुर, ऊधम सिंह नगर, (अग्निकाण्ड के सम्बन्ध में)

59. Primary Report on Earthquake Safety of the Ashram Padhati School in Tunni Block of District Dehradun

60. **सर्वेक्षण आख्याः** कैलाश नदी सितारगंज (ऊधम सिंह नगर)

7– किसी व्यवस्था की विशिष्टियां जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 मैनुअल संख्या–8

8– ऐसे बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिनमें दो या अधिक व्यक्ति है, जिनका उसके भागरूप या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है कि क्या उन बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुॅच होगी।

आपदा प्रबन्धन विभाग के अर्न्तगत आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र के शासी निकाय के अन्तर्गत अधिशासी निदेशक को केन्द्र के प्रशासनिक के रूप में स्थापित किये जाने की व्यवस्था है एवं संस्था के अधिशासी मण्डल एवं शासी निकाय द्वारा अधिशासी निदेशक को केन्द्र के सुचारू संचालन हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार है।

केन्द्र के अर्न्तगत शासी निकाय के अर्न्तगत अधिशासी मण्डल के निर्णयों एवं केन्द्र से सम्बन्धित महत्वपूर्ण एवं नितिगत निर्णयों हेतु शासी निकाय की व्यवस्था की गई हैं तथा शासी निकाय में कुछ अन्य विभागों के सदस्यों को नामित किये जाने प्रावधान है।

शासी निकाय में केन्द्र द्वारा राज्य सरकार के विभिन्न सस्थानों में आपदा प्रबन्धन के क्षेत्र में कार्य कर रहे विशेषज्ञों को सदस्यों को सदस्य के रूप में समावेशित करने का प्रावधान हैं।

शासी निकाय में सेना भारत तिब्बत सेना पुलिस, सीमा सड़क संगठन व एस.एस.बी. से एक–एक व्यक्ति को सदस्य के रूप में नामित किये जाने का प्रावधान है।

शासी निकाय के सदस्यों की सूची

दिनांक 31 मई, 2006 को आयोजित आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र के शासी निकाय की प्रथम बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में शासी निकाय को निम्नवत् पुर्नगठित किये जाने पर अनुमोदन किया गया :–

क्र.स.	नाम	पदनाम
1.	मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन	अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव, वित्त	सदस्य
3.	प्रमुख सचिव, गृह	सदस्य
4.	प्रमुख सचिव, राजस्व	सदस्य
5.	प्रमुख सचिव, आपदा प्रबन्धन	सदस्य
6.	प्रमुख सचिव, सिंचाई	सदस्य
7.	निदेशक, प्रशासन अकादमी, नैनीताल	सदस्य
8.	राहत आयुक्त	सदस्य
9.	अधिशासी निदेशक, आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र	सदस्य/सचिव

अधिशासी मण्डल के सदस्यों की सूची

1.	प्रमुख सचिव, आपदा प्रबन्धन, उत्तराखण्ड शासन	अध्यक्ष
2.	निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल	सदस्य
3	आयुक्त, आपदा प्रबन्धन	सदस्य
4.	अधिशासी निदेशक, आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र	सदस्य/सचिव
5.	प्रबन्धक, वित्त, आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र	सदस्य

शासी निकाय की बैठक

शासी निकाय की बैठक वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है

अधिशासी मण्डल की प्रथम बैठक

अधिशासी मण्डल की बैठक वर्ष में दो आयोजित की जाती है

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 मैनुअल संख्या–9

9– अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड सरकार के अन्तर्गत अधिकारियों क निर्देशिका निम्नवत् हैः

1. **श्री नृप सिंह नपल्चयाल**
   प्रमुख सचिव।
   दूरभाष नम्बर– 2712094 (कार्या0)

क्र. स.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	वेतनमान
1.	श्री त्रिलोक चन्द्र तिवारी	निजी सचिव	6500–10,000
2.	कु0 यशोदा नेगी	अपर निजी सचिव	5500–9000
3.	श्री नीरज पाण्डे	स्टेनोग्राफर	4000–6000
4.	श्री प्रकाश बहुगुणा	कनिष्ट सहायक	4000–6000
5.	श्री राजेश प्रसाद	कनिष्ट लिपिक	3050–4590

2. **श्री पी0एस0 जंगपांगी**
   अपर सचिव।
   दूरभाष नम्बर– 2712013, 2712058 (कार्या0)

क्र. स.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	वेतनमान
1.	श्री लक्ष्मण सिंह	अनुसचिव	10,000–15,200
2.	श्री अतुल कुमार सिंह	प्रभारी अनुभाग अधिकारी	5500–9000
3.	श्री हर्षमणी भट्ट	समीक्षा अधिकारी	5500–9000
4.	श्री मुनेन्द्र दत्त सेमवाल	समीक्षा अधिकारी	5500–9000
5.	श्री कैलाश सिंह रावत	अनुसेवक	2550–3200

स्वायत्तशासी आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र के अन्तर्गत अधिकारियों/कर्मचारियों की निर्देशिका निम्नवत् हैः–

1– **डॉ0 पीयूष रौतेला**
   अधिशासी निदेशक
   आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र
   दूरभाष नम्बर– 2710233 (कार्या0)
   9412054085 (मोबाइल)

2– **श्री गिरीश चन्द्र जोशी**
   वरिष्ठ कार्यकारी
   आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र

दूरभाष नम्बर– 2710233 (कार्या0)

3– **डॉ0 के.एन. पाण्डे**
कनिष्ट कार्यकारी
आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र
दूरभाष नम्बर– 2710233 (कार्या0)

5– **मे0 राहुल जुगरान**
कनिष्ट कार्यकारी
आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र
दूरभाष नम्बर– 2710233 (कार्या0)

6– **श्री भूपेन्द्र सिंह भैसोड़ा**
प्रबन्धक तकनीकी
आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र
दूरभाष नम्बर– 2710233 (कार्या0)

7– **श्री राजीव कुमार गुप्ता**
प्रबन्धक प्रशासन
आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र
दूरभाष नम्बर– 2710233 (कार्या0)

8– **श्री मोहन सिंह राठौर**
डेटा इन्ट्री ऑपरेटर
आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र
दूरभाष नम्बर– 2710233 (कार्या0)

9– **श्री गोविन्द सिंह रौतेला**
डेटा इन्ट्री ऑपरेटर
आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र
दूरभाष नम्बर– 2710233 (कार्या0)

10– **श्री हरीश सिंह मेहता**
तकनीकी सहायक
आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र
दूरभाष नम्बर– 2710233 (कार्या0)

11– **श्री घनश्याम टम्टा**
तकनीकी सहायक
आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र
दूरभाष नम्बर– 2710233 (कार्या0)

12– **श्री नवीन चन्द्र भट्ट**
तकनीकी सहायक
आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र
दूरभाष नम्बर– 2710233 (कार्या0)

ूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 मैनुअल संख्या–10

10– प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रामिक जिसमें उसके विनियमों में यथाउपबंधित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित है

स्वायत्तशासी आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र के अंतर्गत अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक का विवरण निम्नवत् है :–

अधिकारियों/ कर्मचारियों का नाम/ पद		मासिक पारिश्रमिक (मूल वेतन)
1.	डॉ. पीयूष रौतेला, अधिशासी निदेशक	रू. 14,000.00/–
2–	श्री गिरीश चन्द्र जोशी, वरिष्ठ कार्यकारी	रू. 12,000.00/–
3–	डॉ. के.एन. पाण्डे, कनिष्ट कार्यकारी	रू. 10,000.00/–
4–	डॉ. स्वप्नामिता चौधुरी, कनिष्ट कार्यकारी	रू. 10,000.00/–
5–	मे. राहुल जुगरान, कनिष्ट कार्यकारी	रू. 10,000.00/–
6–	श्री भूपेन्द्र सिंह भैसोड़ा, प्रबन्धक तकनीकी	रू. 8,000.00/–
7–	श्री राजीव कुमार गुप्ता, प्रबन्धक प्रशासन	रू. 5,500.00/–
8–	श्री मोहन सिंह राठौर, डेटा इन्ट्री ऑपरेटर	रू. 5,000.00/–
9–	श्री गोविन्द सिंह रौतेला, डेटा इन्ट्री ऑपरेटर	रू. 5,000.00/–
10–	श्री हरीश सिंह मेहता, तकनीकी सहायक	रू. 3050.00/–
11–	श्री घनश्याम टम्टा, तकनीकी सहायक	रू. 3050.00/–
12–	श्री नवीन चन्द्र भट्ट, तकनीकी सहायक	रू. 3050.00/–

उपरोक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ भी देय है। सम्बन्धित कर्मचारियों की उपस्थिति प्रमाणित होने के पश्चात ही चैक द्वारा वेतन निर्धारण एवं भुगतान की कार्यवाही की जाती है।

11– सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संविताणों पर रिपोर्टो की विशिष्टियॉ उपदर्शित करते हुये अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट

राज्य सरकार से आपदा प्रबन्धन विभाग के अर्न्तगत स्वायत्तशासी आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्घन केन्द्र को राज्य सरकार से प्रति वर्ष अनुदान के रूप में धनराशि प्राप्त होगी। जिसका उपयोग केन्द्र के वेतन एवं भत्ते, अनुश्रवण एवं रखरखाव एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम (उपकरणों का रखरखाव, कार्यालय व्यय, आकस्मिक व्यय में किया जाता है।)

केन्द्र द्वारा ग्रामीण समुदाय हेतु जागरूकता एवं क्षमता विकास कार्यक्रमों को भी विकसित किया गया है, जिसके द्वारा भूकम्प, भू–स्खलन, वनाग्नि जैसी आपदाओं के प्रबन्धन इत्यादि विषयों पर प्रकाश डाला जाता है। इन कार्यशालाओं को जोन V के ग्रामों से आरम्भ किया गया है। इन कार्यशालाओं का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं की जानकारी का प्रसार एवं ग्रामीणों में पूर्व तैयारी हेतु परम्परागत ज्ञान को एकत्र कर एक दक्ष्य नीति निर्धारण करना एंवं सामुदायिक सहभागिता के महत्वों को पहचानना है।

आपदा प्रबन्धन समिति प्रषिक्षण

1. जनपद स्तर सदस्यों की सख्या	–	280
2. विकासखण्ड स्तर पर सदस्यों की सख्या	–	488
3. ग्रामस्तरीय सदस्यों की संख्या	–	2886

जनपद स्तरीय आपातकालीन परिचालन केन्द्र

1. 8 जनपदों के सदस्य	–	200

आपदा प्रबन्ध प्रषिक्षण

1.षिक्षकों की संख्या	–	1537

स्कूल आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना

1. षिक्षक एवं छात्र–छात्राओं की संख्या	–	371

राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत आपदा प्रषिक्षण

1. छात्र–छात्राओं की संख्या	–	1500

पंचायती राज संस्थाओं का आपदा प्रबन्धन प्रषिक्षण

1. सदस्यों की संख्या	–	1976

नगर आपदा प्रबन्ध समितियों का प्रषिक्षण

1. सदस्यों की संख्या	–	176

भूकम्प अवरोधी तकनीकी में प्रषिक्षण

1. अभियन्ताओं की संख्या	–	507

HkwdEijks/kh rduhd izf'k{k.k

1. आर्कटेक्ट / ड्रफ्टमैन – 32

HkwdEijks/kh rduhdh esa jktfeL=h dk izf'k{k.k

1. राजमिस्त्रियों की कुल संख्या – 400

[kkst ,oa cpko izf'k{k.k

1. ग्रामस्तरीय अन्तराक्षेपण दलों के सदस्यों की संख्या – 117
2. जिला आपदा प्रबंध परियोजना अधिकारी – 04
3. पुलिस, पी.एस.सी., फायर सर्विस, होम गार्ड राजस्व एवं अन्य 449

izkFkfed fpfdRlk ,oa mipkj esa izf'k{k.k

1. ग्रामस्तरीय स्वयं सेवकों की संख्या – 102

tuin Lrjh; vkink izcU?k dk;Z;kstuk

1. 8 जनपदों में आपदा प्रबन्धन समितियों का गठन– 280

xzkeLrjh; vkink dk;Z;kstuk

1. गॉवों की संख्या – 310
2. आपदा प्रबन्ध समितियों की संख्या – 1263

gSe jsfM;ks izf'k{k.k

1. प्रषिक्षणार्थियों की संख्या – 67

- आपदा प्रबन्धन एवं पुर्नवास विभाग के अन्तर्गत आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्ध केन्द्र द्वारा आपदा प्रबन्धन में सूचना के महत्व को दृष्टिगत रखते हुये आपदा प्रबन्धन सूचना प्रणाली स्थापित करने की एक योजना तैयार की गयी है जिसके अंतर्गत सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में वीसैट प्रणाली से सूचनाओं का आदान –प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना का एक मुख्य अंश सुदूर संवेदन एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली के माध्यम से एक ऐसा बहुउद्देशीय डेटा बैंक तैयार करना है जो कि उत्तराखण्ड शासन एवं जनपद प्रशासन के विकास कार्यो को प्रभावी बनाने में मदद करेगा।
- राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र को वी सैट प्रणाली के अन्तर्गत गृह मंत्रालय, मौसम भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा देश के 22 राज्यों से जोड़ दिया गया है।
- उत्तराखण्ड के 13 जनपदों में रोड नेटवर्क एवं भौगोलिक स्थिति, भौगोलिकी सूचना प्रणाली के माध्यम से बहुउद्देशीय डेटा बैंक तैयार किया गया है। जिसका उपयोग आपदाओं के समय किया जा सकता है।

- उत्तराखण्ड के 13 जनपदों की जिला आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना तैयार कर ली गयी है।
- वर्तमान में उत्तराखण्ड के जोन V के कुल 333 ग्राम स्तरीय कार्ययोजना एवं 10 सदस्यीय ग्राम अन्तराक्षेपण दलों का गठन किया जा चुका है। उत्तराखण्ड के 13 जनपदों को वीडियों सम्मेलन Video Conferencing के द्वारा जोड़ा गया है। कोई भी आपदा घटित होने एवं अन्य कार्य हेतु जनपदों से किसी भी समय सम्पर्क किया जाता हैं। केन्द्र आपदा प्रबन्धन के जोखिम आंकलन, मानचित्रीकरण, घातकता आंकलन तथा आपदा न्यूनीकरण इत्यादि कार्यो को आगे बढ़ाने में कार्यरत है।
- गृह मंत्रालय–भारत सरकार के दिशानिर्देशानुसार राज्य में विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं के अभियंताओं तथा सी.बी.आर.आई., रूड़की एवं आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन के विशेषज्ञों का चयन कर Hazard Safety Cell का गठन किया गया है। अब तक इस सैल की 04 बैठक आयोजित की जा चुकी है।
- राज्य के प्रत्येक जनपदों में जनपद स्तर पर हेजार्ड सेफ्टी यूनिट (Hazard Safety Unit) का गठन किया जा रहा है।
- भवन मजबूतीकरण हेतु विभिन्न विभागों में भवनों की दशा के सम्बन्ध में सूचना मॉगी गयी है ताकि कमजोर पाये जाने वाले भवनों का मजबूतीकरण का कार्य अगली पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित किया जा सके।
- आई.आई.टी, रूड़की के सहयोग से एन.एच.पी.सी. के द्वारा वित्त पोषित 05 स्कूलों के मजबूतीकरण हेतु अध्ययन भी प्रस्तावित है।
- गृह मंत्रालय–भारत सरकार की ओर से राज्य में अभियंताओं के अलग–अलग स्तर पर प्रशिक्षण हेतु National Programme of Capacity Building for Engineers in Earthquake Risk Management (NPCBEERM) चलाया जा रहा है। इस वृहद प्रशिक्षण कार्यक्रम के अर्न्तगत प्रथम चरण में राज्य 4 रिर्सोस ग्रुप (Resource Group) बनाये जा चुके है। जिसमें 08 अभियंताओं एवं 08 इंजीनियरिंग कालेजों के अध्यापकों को 40 दिवसीय दीर्घकालीन प्रशिक्षण दिया जा चुका है। द्वितीय चरण में राज्य में 360 अभियंताओं को भूकम्प अवरोधी निर्माण सम्बन्धी जानकारी दी जानी है।
- केन्द्र द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में 2003 से 2006 तक कुल 570 सदस्यों को खोज एवं बचाव का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। जिनमें पिथौरागढ़, बागेश्वर, रूद्रप्रयाग, चमोली एवं उत्तरकाशी में गठित ग्राम स्तरीय अन्तराक्षेपण दलों के जिला प्रशासन द्वारा नामित 117 एवं 04 जिला आपदा परियोजना अधिकारियों को 20 दिवसीय खोज एवं बचाव विषयक

प्रशिक्षण साहसिक पर्यटन केन्द्र अल्मोड़ा, हिमालयन टैर्कस समिति मोरी उत्तरकाशी, मसूरी स्थित हिमालयन साहसिक संस्थान के माध्यम से वृहद रूप में दिया जा चुका है। इसके साथ ही जनपद एवं तहसील स्तर पर 113 पटवारी, 142 कॉस्टेबल, 26 होमगार्ड, 07 पी0आर0डी0 जवान, 26 पुलिस अग्निशमन, 02 सचिव पंचायत, 12 तहसील लिपिक, 03 फार्मसिस्ट, 19 ग्राम पंचायत अधिकारी, 30 तहसील अनुसेवक, 01 एस0ई0, 01 सहायक विकास अधिकारी, 05, कनिष्ट व वरिष्ठ अभियंता सहायक/ फारिस्टर 03 नायब तहसीलदार, 07 ग्राम प्रहरी, 07 स्वास्थ्य विभाग और पी0एस0सी0 बटालियन रूद्रपुर एवं हरिद्वार के 45 सदस्यों को खोज एवं बचाव का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इसके साथ ही हिमालयन साहसिक संस्थान कैम्पटी, मसूरी एवं नैनीताल माउण्टेनियरिंग क्लब, नैनीताल में तहसील स्तर पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आपदा प्रबन्धन एवं पुर्नवास विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रत्येक माह में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी निर्धारित कर दिया गया है।

- केन्द्र द्वारा 8 जनपदों के आपातकालीन परिचालन केन्द्रों के 280 सदस्यों, 1537 शिक्षकों, राष्ट्रीय सेवा योजना के 1500 छात्र–छात्राओं, पंचायती राज संस्थाओं के 1976 सदस्यों तथा नगर आपदा प्रबंधन समितियों के 176 सदस्यों को आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
- उत्तराखण्ड आपदा न्यूनीकरण, प्रबन्धन तथा निवारण अधिनियम, 2005 पारित हो गया है।
- केन्द्र द्वारा वर्तमान तक 8 विभिन्न विभागों हेतु SOP (Standard Operating Procedures) भी तैयार किये जा चुके है जिसके माध्यम से इन विशिष्ट विभाग जो आपदा के दौरान अह्म भूमिका निभाते है, को पूर्व तैयारी में योगदान प्रदान करेंगे।
- केन्द्र द्वारा यू.एन.डी.पी. की परियोजना के अंतर्गत जनपद बागेश्वर, रूद्रप्रयाग, हल्द्वानी, टिहरी गढ़वाल, देहरादून के 400 राज मिस्त्रियों, 507 अभियन्ताओं एवं 32 आर्कटेक्ट/ड्राफ्ट्मैनों को भूकम्प अवरोधी तकनीकी का समायोजन स्तरीय निर्माण में किये जाने का प्रशिक्षण दिया जा चुका है तथा इन प्रशिक्षित Master Trainers को आगे प्रशिक्षण देने हेतु कार्य किया जा रहा है। 25 चिकित्सकों को आपदा प्रबन्धन के क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
- गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं संयुक्त विकास कार्यक्रम द्वारा उत्तराखण्ड में क्रियान्वित, आपदा जोखिम प्रबंधन परियोजना के अन्तर्गत राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र तैयार कर लिया गया है। इस क्रम में नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली, टिहरी गढ़वाल, रूद्रप्रयाग, देहरादून ,उत्तरकाशी जनपदों के जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र के

भवन तैयार कर लिये गये है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सूचना के आदान प्रदान के लिये 13 जनपदों को फोन नम्बर 1077 व राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र को फोन न0 1070 से जोड़ा गया हैं।

- सूचना प्रणाली के तहत् राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र से गढ़वाल एवं कुमांऊ मण्डल को पुलिस वायरलैस सैट के माध्यम से जोड़ दिया गया है।
- उत्तराखण्ड के 10 जनपदों अल्मोड़ा, नैनीताल, चम्पावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, रूद्रप्रयाग, पौड़ी तथा टिहरी गढ़वाल को सेटेलाईट फोन एंव दो सेटेलाईट फोन द्वारा राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र से जोड़ गया है।
- उत्तराखण्ड के 13 जनपदों को विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र से जोड़ दिया गया है।
- आपदाओं की दृष्टि से संवेदनशील राज्य के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार हेतु रेड क्रास से संबद्ध संस्था सेंट जांस ऐबुलेंस के पदाधिकारियों के द्वारा एन.एस.एस. के 70 छात्र–छात्राओं, फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट ऑफ एयर हॉस्टेस के 30 छात्र–छात्राओं एवं एयर हॉस्टेस अकादमी के 50 छात्र–छात्राओं को 07 दिवसीय प्राथमिक उपचार हेतु प्रशिक्षण दिया गया।
- अन्तर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण एवं निवारण दिवस के अवसर पर जनचेतना हेतु गॉधी पार्क, देहरादून में चित्रकला प्रतियोगिता एवं नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। जिसमें 256 छात्र–छात्राओं ने भाग लिया।

वैकल्पिक व्यवस्था

आपदा प्रबन्धन विभाग के अर्न्तगत राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र का संचालन आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र द्वारा संचालित किया जाता है। जिसके तहत राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र को 24 घण्टे चलाया जाता है।

मानसून अवधि में जनपदों के जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्रों को भी राज्य की तरह 24 घण्टे चलाया जाता है जो राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र को आपदा घटित होने पर त्वरित कार्यवाही हेतु सूचना प्रेषित करते है। जनपदों के आपातकालीन परिचालन केन्द्र से सूचना प्राप्त होते ही राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र ए.टी.आर. (Action Taken Report) मा0 मुख्यमंत्री, मा0 आपदा मंत्री और शासन में मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, आपदा प्रबन्धन, अपर सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं अन्य विभागों के प्रमुख सचिव/अपर सचिव

तथा कन्ट्रोल रूम गृह मंत्रालय भारत सरकार को त्वरित कार्यवाही हेतु दैनिक सूचना प्रेषित की जाती है।

प्राथमिक उपचार सहायताः

उत्तराचंल की विषम भौगोलिक संरचना होने के कारण कोई भी आपदा घटित होने पर समय से चिकित्सक नहीं पहुॅच सकते है। आपदा से प्रभावित समुदाय को प्राथमिक उपचार चिकित्सा सहायता देने के लिये प्रत्येक व्यक्ति को प्राथमिक उपचार सहायता का प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यकीय है। जिसके तहत प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार हेतु 14–20 अक्टूबर 2006 से रेड क्रास से संबद्ध संस्था सेंट जांस ऐबुलेंस के पदाधिकारियों के द्वारा एन.एस.एस. के 70 छात्र–छात्राओं, फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट ऑफ एयर हॅास्टेस के 30 छात्र–छात्राओं एवं एयर हॉस्टेस अकादमी के 50 छात्र–छात्राओं को 07 दिवसीय प्राथमिक उपचार हेतु प्रशिक्षण दिया गया।

Disaster Mitigation & Management Centre
Receipt & Payment
For the financial year 2001-2002

Receipts	Amount	Payment	Amount
Amount sanctioned **Rs, 69,98,000.00**		Office Furniture	1,50,000.00
❑ Amount withdrawn by the Academy of Administation, Nainital from treasury	48,98,000.00	GIS/RS Lab	26,02,000.00
		Computer Lab	13,68,702.00
		A/V Equipment	5,00,000.00
❑ Amount received by DMMC from Academy of Administation, Nainital	11,00,000.00	Travel exp.	78,533.00
		Office Expenditure	14,92,473.00
❑ Amount withdrawn by the Academy of Administation, Nainital from treasury	7,48,187.00	Human Resource	3,75,585.00
		Cash in hand and bank	3,69,361.00
		Cash in hand Rs. 7,237.00	
❑ Intt. Earned from bank (KNSB, Nainital)	1,88,967.00	Cash in Bank Rs. 1,73,157.00	
		Intt. From Bank Rs. 1,88,967.00	
❑ Mis. Receipt	1,500.00		
❑ Amount surrendered by the Academy of Administration, Nainital to the GOUA **Rs. 2,51,813.00**			
	69,36,654.00		**69,36,654.00**

Disaster Mitigation & Management Centre
Receipt & Payment
For the financial year 2002-2003

Receipts	Amount	Payment	Amount
❑ Opening balance	1,80,394.00	Human Resource	14,21,556.00
❑ Amount received as Installment from Academy of Administation, Nainital	33,81,488.00	Operation & Maintenance	9,60,000.00
		Office Expenditure	3,70,000.00
		Equipment	2,59,000.00
❑ Mis. Receipt	5,200.00		
		DDMAP	2,50,000.00
		Misc./Sundry Exp.	25,200.00
		Cash at Bank	2,81,326.00
	35,67,082.00		**35,67,082.00**

Disaster Mitigation & Management Centre
Receipt & Payment
For the financial year 2003-2004

Receipts	Amount	Payment	Amount
❑ Opening balance	2,81,326.00	Human Resource	15,32,702.00
❑ Amount Received from GOUA	20,00,000.00	Operation & Maintenance	3,50,000.00
		Office Expenditure	2,00,050.00
		Equipment	1,50,000.00
		Amount surrendered under human resource head	47,092.00
		Bank charges	1,482.00
	22,81,326.00		**22,81,326.00**

DISASTER MITIGATION & MANAGEMENT CENTRE

Receipt & Payment for the year 2004-05
(For the ending period 31 March, 2005)

RECEIPT	AMOUNT	PAYMENT	AMOUNT
Budget received from GoUA (Rs. 13,33,000 + Rs. 26,67,000)	40,00,000.00	1) Human Resource 2) Operation & Maintenance 3) Office Expenditure 4) Equipment 5) Sundry Expenses 6) Amt. surrender under in Human Resource Head	19,03,303.00 4,01,900.00 2,60,000.00 4,54,000.00 20,000.00 9,60,797.00
Interest earned during financial year 2004-2005 A/c No. SB 24912 UBI, D.DN	36,821.00	Interest surrender under to GoUA	36,821.00
Budget received from MHA, Gov. of India (DMC)	8,00,000.00	1) Salary Head 2) Office Exp/Workshop 3) Equipment Head 4) **Cash at Bank (31.3.05)**	1,27,033.00 2,50,000.00 1,50,000.00 **2,72,967.00**
Budget received from GoUA (Search & Rescue Training) (Rs. 2,26,000 + 2,26,000+6,78,000)	11,30,000.00	1) Payment of HAI, Mussoorie 2) TA/DA Participants 3) Budget Surrender to GoUA	11,00,000.00 6,000.00 24,000.00
Miscellaneous Receipt	11,205.00	1) Payment of Telephone bill 2) Corpus Fund (FD)	8,000.00 3,205.00
Health Project	4,93,718.00	1) Salary 2) Corpus Fund (FD) 3) Temporary Loan 4) **Cash at Bank**	27,096.00 2,28,331.00 12,291.00 **2,26,000.00**
PWD Road Map Project	7,78,000.00	1) Corpus Fund (FD) 2) Equipment 3) Travel Exp. 4) Office Exp. 5) Mis. Exp. 6) **Cash at Bank**	3,91,708.00 2,55,385.00 1,860.00 4,660.00 7,967.00 **1,16,420.00**
Output Road Master Plan Project (Map Output)	10,000.00	1) Corpus Fund (FD) 2) **Cash at Bank**	7,000.00 **3,000.00**
TOTAL	**72,59,744.00**	**TOTAL**	**72,59,744.00**

केन्द्र द्वारा आपदा जोखिम परियोजना (यू.एन.डी.पी.) के सहयोग से सामुदायिक जागरूकता अभियान की एक वृहद योजना उत्तराखण्ड के 8 जनपदों (नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़, रूद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी गढ़वाल देहरादून, उत्तरकाशी में कार्यान्वित है। उक्त जनपदों के प्रत्येक गांव हेतु आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना के निर्माण के साथ–साथ प्रत्येक गांव में ग्राम स्तरीय अन्तराक्षेपण दलों का गठन भी किया जा रहा है। इन जनपदों में विकास खण्ड, जनपद एवं तहसील स्तर पर भी आपदा प्रबन्धन कार्य समितियों का गठन किया जा रहा है।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं सयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा उत्तराखण्ड में क्रियान्वित आपदा जोखिम प्रबन्धन परियोजना (यू.एन.डी.पी.) के तहत 08 जनपदों में यू0एन0डी0पी0 द्वारा जिला परियोजना अधिकारियों की नियुक्ति की गयी है जिसका विवरण निम्नवत हैः

क्र.सं.	**नाम**	**पदनाम**	**जनपद**
1.	डॉ0 पी0डी0 माथुर	परियोजना अधिकारी	बागेश्वर
2.	श्री सुमीत जोशी	परियोजना अधिकारी	पिथौरागढ़
3.	डॉ0 अनिल शर्मा	परियोजना अधिकारी	नैनीताल
4.	श्री कैलाश चन्द्र पाण्डे	परियोजना अधिकारी	चमोली
5.	श्री आर0एस0 राणा	परियोजना अधिकारी	रूद्रप्रयाग
6.	श्रीमती मीरा कैन्थुरा	परियोजना अधिकारी	टिहरी गढ़वाल
7.	श्री मनोज पाण्डे	परियोजना अधिकारी	उत्तरकाशी
8.	श्रीमती पुष्पलता रावत	परियोजना अधिकारी	देहरादून

;w0,u0Mh0ih0 ifj;kstuk dk ctV fooj.k

GoI-UNDP Disaster Risk Management Programme
Statement of Income & Expenditure for the funds released under sub-contract to the State Nodal

Implementing Agency	**Disaster Mitigation and Management Centre (DMMC)**
	Agency
Address	**Disaster Mitigation and Management Centre (DMMC) Government of Uttaranchal Uttaranchal Secretariat Campus, Rajpur Road Dehradun 248001**
Tel/Fax	**0135 - 2710232, 2710233 / 0135 – 2710199**
Report for the period ending	**31st December, 2005**

Details of the Funds received from UNDP

Date	Description	Amount (INR)
23/06/2003	1st Installment	52,49,640.00
10/11/2003	2nd Installment	58,62,060.00
22/06/2004	Masons' Trg	74,343.00
18/11/2004	3rd Installment	67,19,200.00
27/12/2004	Satellite Phone	4,00,000.00
10/10/2005	4th Installment	80,72,761.20
Total		2,63,78,004.20

Activity Description as per the approved work plan	Approved allocation for the programme as per the MoU with UNDP	Released allocation for the programme as per the MoU with UNDP	Cumulative Expenditure	Narrative description of the fund spent
State Level				
Institutional Arrangements				
Duty Travel/Mission Cost-Contingency for SNA	3,88,790	1,94,395	2,46,363	Rs 51,968 excess utilized, however within the overall allocation limit.
Strengthening State Nodal Agency/Authority (SNA) in DM	4,57,400	1,14,350	Nil	
Strengthening Inter & Intra Departments Administrative Apparatus in DM				
Development of State Disaster Management Action Plan (SDMAP) & State Disaster Management Act. (SDMA)	1,82,960	91,480	Nil	
Preparation of State Vulnerability Report	3,13,940	1,56,970	Nil	
Preparation / Documentation of Best Practices in the states and outside the state	1,60,090	80,045	6,933	
Retrofitting and Hazard Resistant Model Demonstration Units	29,27,360	14,63,680	14,57,800	Transferred to construction of state and district EOC head as per concurrence recorded in the meeting on 21.2.2005 by UNDP & MHA

In-country exposure visits	45,740	22,870	Nil	
National Professional (advisory services to SNA) for 6 working months	2,05,830	1,02,915	1,980	
Training & Capacity Building				
State level training for specific skill development of the Nodal Officers, SDMT and the DMTs as per the GoUA Emergency Operation Group	2,88,162	1,14,350	45,526	
Mesons Training	Nil	94,873	94,873	Rs 74,343 received frm UNDP. Rs 20,530 transfered from IEC Material head as per approval of Chairman SSC
School Disaster Management Action Plan	Nil	23,470	3,750	Transfer from IEC Material head as per approval of Chairman SSC
Awareness & Sensitization				
Training of state level Disaster Management Team in DM related functional areas (for emergency support function like first aid, search & rescue etc.) and linking with other institutional capacity building initiatives like in search & rescue	2,28,700	1,14,350	1,01,373	
Printing/Development of IEC materials for the State/District and below levels	16,26,453	6,44,760	3,22,222	Rs. 44,000/- transferred to Mesons training & School disaster management plan heads as per approval of Chairman SSC
Stakeholders consultations on Disaster Management Strategy	1,14,350	57,175	6,917	
Construction of EOC & DEOC (Indian Rs)	67,19,200	67,19,200	67,19,200	Amount released to PWD, D.Dun and District Utilization is awaited. Additional Amount is borne from inter component transfer as per concurrence recorded in the meeting on 21st Feb. 2005 by UNDP and MHA.
Procurement of Staellite Phones	4,00,000	4,00,000	NIL	
Sub Total (A)	**1,40,58,975.00**	**1,03,94,883.00**	**90,06,937.00**	
Urban Earthquake Vulnerability Reduction Programme (UEVRP)	9,06,000	4,53,000	3,55,552.35	As information submitted by MDDA (Nodal Agency)
Sub Total (B)	**9,06,000.00**	**4,53,000**	**3,55,552.35**	
District Level				
Institutional Arrangement				
Contingency, Communication DDMC	3,65,920	1,80,960	1,40,990	As figures submitted by

				District Administration
Strengthening Inter & Intra Department Administrative Apparatus in DM				
Cities (ULBs) Under the programme district for earthquake preparedness through awareness generation responses plan and development of techno legal regime 2 in each district.	29,27,360	14,63,680	2,49,660	As figures submitted by District Administration
Review and updating of preparedness and mitigation plan at district, tehsil & GP levels				
Preparation of the District Disaster Management Action plan DDMAP	10,97,760	3,65,920	1,15,429	As figures submitted by District Administration
Preparation of the Block/ULB/Tehsil/Village level disaster preparedness and mitigation plan	73,18,400	27,44,400	7,62,763	As figures submitted by District Administration
Training & Capacity Building				
Training and Capacity Building of various Disaster Management Teams/Disaster Management Committee on community based Disaster Preparedness (CBDP)	67,69,520	21,95,520	3,85,698	As figures submitted by District Administration
Training of Trainers and facilitators in development of preparedness and Mitigation Plan. Training of Type, 2,3 Search & Rescue Team. Training of Masson, Architect, local Builders on Disaster resistant housing technology.	18,29,600	3,65,920	5,18,539	As figures submitted by District Administration
Awareness and Sensitization				
Awareness and campaign in the District /Block/ Tehsil/ Village	3,65,920	1,82,960	5,74,534	As figures submitted by District Administration
Sub Total (c)	**2,06,74,480**	**74,99,360**	**27,47,613.00**	
Grand Total (a+b+c)	**3,56,39,455**	**1,83,47,243.00**	**1,21,10,102.35**	

This is to certify that the above statement of income and expenditure is correct and that the expenditure was incurred in connection with the approved projects for which the funds have been received.

lwpuk dk vf/kdkj vf/kfu;e] 2005 eSuqvy la[;k&12

12–सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं

- **लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन के लिए रोड मास्टर प्लान :**

परियोजना अवधि– 2004–06

आवंटित धनराशि (रू0)– 7,88,000.00

jksM ekLVj lyku esa fuEufyf[kr vf/kdkfj;ksa ,oa deZpkfj;ksa }kjk dk;Z fd;k x;k %&

1. डॉ0 के0एन0 पाण्डे, कनिष्ट कार्यकारी।
2. डॉ0 एन0के0 गुप्ता, तकनीकी प्रबन्धक।
3. श्री मोहन सिंह राठौर, डाटा इन्ट्री आपरेटर।
4. श्री हरि मेहता, तकनीकी सहायक।
5. श्री घनश्याम टम्टा, तकनीकी सहायक।
6. श्री नवीन चन्द्र भट्ट, तकनीकी सहायक।

- **Vh-,p-Mh-lh- }kjk izkIr lgk;rk ls fVgjh Mse tuin Lrjh; vkink izcU/ku dk;Z;kstuk dk dk;Z fd;k x;k**

आवंटित धनराशि (रू0)– 10,00,000.00

अब तक प्राप्त धनराशि (रू0)– 8,00,000.00

7. टी.एच.डी.सी. परियोजना में निम्नलिखित अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा कार्य किया गया :–

1. डॉ0 पीयूष रौतेला, अधिशासी निदेशक।
2. श्री ध्रुव ज्योति दास, कनिष्ट कार्यकारी।
3. श्री भूपेन्द्र भैसोंड़ा, तकनीकी प्रबन्धक।
4. श्री राजीव कुमार आहलुवालिया, तकनीकी सहायक।
5. श्री देवी दयाल सिन्हा, तकनीकी सहायक।

- **fpfdRlk foHkkx ds }kjk iwjs izns'k esa LokLF; dsUnzksa ls lEcfU/kr th0vkbZ0,l0 MkVk csl dh LFkkiuk dk;Z py jgk gS**

परियोजना अवधि– 2004–06

आवंटित धनराशि (रू0)– 10,08000.00

अब तक प्राप्त धनराशि (रू0)– 4,93,718.00

- **mDr ifj;kstuk esa fuEufyf[kr vf/kdkfj;ksa ,oa deZpkfj;ksa }kjk dk;Z fd;k x;k**

    1. डॉ0 पीयूष रौतेला, अधिशासी निदेशक।
    2. श्री सुभम पाठक, तकनीकी सहायक।

- **foKku ,oa izkS|ksfxdh foHkkx] Hkkjr ljdkj }kjk foRr iksf"kr ifj;kstuk (GIS Base Landslide inventory in Rudrapriyag District)**

परियोजना अवधि– 2 वर्ष

आवंटित धनराशि (रू0)– 12,62,000.00 (साफ्टवेयर सहित)

mDr ifj;kstuk esa fuEufyf[kr vf/kdkfj;ksa ,oa deZpkfj;ksa }kjk dk;Z fd;k tk jgk gS%

1. श्री देवेन्द्र सिंह रावत, शोध सहायक।
2. श्री सुभम पाठक, तकनीकी सहायक।

th0vkbZ0,l0 iz.kkyh ls rduhdh ,oa mPp f'k{kk mRrjk[k.M 'kklu gsrq MkVk csl rS;kj djuk ¼dk;Z izkjEHk gksuk gS½

परियोजना अवधि– 03 माह

आवंटित धनराशि (रू0)– 15,00,000.00 (साफ्टवेयर सहित, साफ्टवेयर शिक्षा विभाग को हस्तातरित होना प्रस्तावित है)

fuokZpu vk;ksx] mRrjk[k.M 'kklu gsrq izR;sd iksfyx cwFk dk ekufp=hdj.k %

परियोजना अवधि– 1.5 माह

mDr ifj;kstuk esa fuEufyf[kr vf/kdkfj;ksa ,oa deZpkfj;ksa }kjk dk;Z fd;k tk jgk gS%&

1. डॉ0 के0एन0 पाण्डे, कनिष्ट कार्यकारी।
2. श्री भूपेन्द्र भैसोड़ा, तकनीकी प्रबन्धक।
3. श्री हरि मेहता, तकनीकी सहायक।
4. श्री नवीन चन्द्र भट्ट, तकनीकी सहायक।
5. श्री देवेन्द्र सिंह रावत, शोध सहायक।
6. श्री सुभम पाठक, तकनीकी सहायक।
7. श्री वीर सिंह रावत, तकनीकी सहायक।

lwpuk dk vf/kdkj vf/kfu;e] 2005 eSuqvy la[;k&13

13– अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियॉ

आपदा प्रबन्धन विभाग के अंतर्गत रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों से सम्बन्धित कार्य व्यवहत नहीं होता है।

lwpuk dk vf/kdkj vf/kfu;e] 2005 eSuqvy la[;k&14

14– किसी इलैक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो

आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र द्वारा की गई सम्पूर्ण कार्यवाही एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि अभिलेखों का विवरण वेबसाइट http://www.uttra.in पर जाने पर विभागीय सूची में आपदा प्रबन्धन विभाग के सम्मुख क्लिक करने पर विभाग की सम्पूर्ण सूचनायें प्राप्त की जा सकती है। स्वायत्तशासी आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र की वेबसाइट **http://gov.ua.nic.in/dmmc** में सम्पूर्ण जानकारियां उपलब्ध है।

- राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र को वी सैट प्रणाली के अन्तर्गत गृह मंत्रालय, मौसम भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा देश के 22 राज्यों से जोड़ दिया गया है।
- उत्तराखण्ड के 13 जनपदों को वीडियों सम्मेलन Video Conferencing के द्वारा जोड़ा गया है। कोई भी आपदा घटित होने एवं अन्य कार्य हेतु जनपदों से किसी भी समय सम्पर्क किया जाता हैं।
- गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सूचना के आदान प्रदान के लिये 13 जनपदों को फोन नम्बर 1077 व राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र को फोन न0 1070 से जोड़ा गया हैं।

lwpuk dk vf/kdkj vf/kfu;e] 2005 eSuqvy la[;k&15

15– सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियॉ जिनके अन्तर्गत किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित है।

आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र द्वारा की गई सम्पूर्ण कार्यवाही एवं वित्तीय स्वीकृतिया, प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि अभिलेखों का विवरण वेबसाइट http://www.uttra.in पर जाने पर विभागीय सूची में आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र एवं आपदा प्रबन्धन विभाग के सम्मुख क्लिक करने पर विभाग की सम्पूर्ण सूचनायें प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त एन.आई.सी. के वेबसाइट **http://gov.ua.nic.in/dmmc** पर अधिसूचना में भी महत्वपूर्ण शासनादेशों का विवरण उपलब्ध कराया गया है।

प्रलेखन एवं सुझाव एवं मार्ग दर्शन से संबन्धित सूचनायें आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र के प्रलेखन कक्ष से प्राप्त की जा सकती तथा सभा कक्ष में शासनस्तर और आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र की बैठक समय–समय आरक्षण के माध्यम से कार्यालय समयावधी (प्रातः 9.30– सांय 6.00 बजे तक) होती है।

lwpuk dk vf/kdkj vf/kfu;e] 2005 eSuqvy la[;k&16

16– लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टयां

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के कियान्वयन हेतु आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द, आपदा प्रबन्धन विभाग, देहरादून के अन्तर्गत उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के प्राविधान के अन्तर्गत नामित लोक सूचना अधिकारियों का विवरण निम्नानुसार है :–

1& vkink U;wuhdj.k ,oa izcU/ku dsUnz] lfpoky; ifjlj] nsgjknwu

डा. पीयूष रौतेला
अधिशासी निदेशक,
आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र,
सचिवालय परिसर, देहरादून।
दूरभाष नम्बर– 2710233 / 2710232 / 2710199

विभागीय अपीलीय अधिकारी
प्रमुख सचिव, आपदा प्रबन्धन।

2& lfpoky; Lrj@'kklu Lrj

श्री लक्ष्मण सिंह,
अनु सचिव,
आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास,
उत्तराखण्ड शासन।
दूरभाष नम्बर– 2712058

विभागीय अपीलीय अधिकारी
अपर सचिव, आपदा प्रबन्धन।

lwpuk dk vf/kdkj vf/kfu;e] 2005 eSuqvy la[;k&17

17– ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाय

उत्तराखण्ड राज्य अपनी भौगोलिक एवं पारिस्थितिकीय संरचना के कारण प्राकृतिक एवं मानवीय परिवर्तनों के प्रति अति संवेदनशील है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए, उत्तराखण्ड राज्य के गठन के साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा आपदा प्रबन्धन मंत्रालय की स्थापना की गयी। यह मंत्रालय आपदाओं के प्रभाव को न्यून करने के लिए प्रदेश सरकार की कटिबद्धता को प्रदर्शित करता है। राज्य में आपदा प्रबन्धन को सुव्यवस्थिति एवं व्यवहारिक बनाने के लिए आपदा तंत्र इस प्रकार विकसित किया गया कि आपदा प्रबन्धन में राज्य एवं जिला स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों के अतिरिक्त स्वंय सेवी संस्थाओं, गैर सरकारी सगठनों, जन प्रतिनिधियों एवं जन सामान्य की स्पष्ट भागीदारी हो सके। राज्य स्तर पर अन्य राज्यों के राहत आयुक्त के विपरीत उत्तराखण्ड में आयुक्त, आपदा प्रबन्ध एवं जिला स्तर पर जिलाधिकारी को जिला आपदा प्रबन्धक के रूप में नियुक्ति तथा जिला आपदा निधि की स्थापना से प्रदेश में आपदा प्रबन्ध तंत्र कारगर एवं व्यवहारिक सिद्ध हुआ।

इस क्रम में शासन द्वारा आपदा प्रबन्धन मंत्रालय के अधीन आपदा प्रबन्धन एवं पुर्नवास के तहत स्वायत्तशासी आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र की स्थापना सचिवालय परिसर, देहरादून में की गयी है।

केन्द्र का ध्येय जागरूकता, सूचना, प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता एवं क्षमता विकास के माध्यम से उत्तराखण्ड राज्य में आपदाओं से जीवन सुरक्षा एवं पर्यावरण सुरक्षा के ऐसे तंत्र की स्थापना करना है, जो कि उत्तराखण्ड राज्य की आपदाओं के प्रति संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए आपदा से पूर्व, आपदा के समय एवं आपदा के पश्चात की गतिविधियों का संसाधनों के अधिकतम उपयोग के साथ सूचारू एवं समयबद्ध तरीके से क्रियान्वयन सुनिश्चित कर सकें।

izf'k{k.k ,oa {kerk fodkl%

स्वायत्तशासी आपदा प्रबन्धन केन्द्र नीति/निर्णय निर्धारक, सम्बन्धित विभागों, गैरसरकारी संस्थाऐं/सी.बी.ओ./स्कूल एवं समुदाय को अपने लक्ष्य वर्ग के रूप में रेखांकित करता है। केन्द्र द्वारा केन्द्र में एवं सुदूर क्षेत्रो में प्रशिक्षण कार्यशालाऐं एवं जागरूकता कार्यक्रमों को नियमित रूप से आयोजित किया जाता है। जिसके तहत नैनीताल, ऊधमसिंह नगर टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चमोली, रूद्रप्रयाग, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, पिथौरागढ़ एवं चम्पावत जनपदों के अधिकारियों गैरसरकारी संस्थाओं हेतु जनपद स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर आई.पी.एस. वर्टिकल इन्टरऐक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में आयोजित किया जाता है।

अभी तक केन्द्र द्वारा 12 प्रशिक्षण मॉडल विकसित किये गये है, जो तीन विशिष्ट लक्ष्य वर्ग को दृष्टिगत रखते हुये विकसित किये गये है।

1. नीति/निर्णय निधारक
2. सम्बन्धित विभाग।
3. गैर सरकारी संस्थाऐं स्कूल एवं समुदाय।